

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 जनवरी 2014—माघ 5, शक 1935

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्र. एफ. 1-4-2014-बयालीस (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में लिपिकीय संवर्ग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में लिपिकीय संवर्ग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की संविदा आधार पर भर्ती नियम, 2013 है.

(2) ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य/संस्था प्रमुख;

(ख) “संविदा रकम” से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट रकम;

(ग) “संविदा नियुक्ति” से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति;

(घ) “विभाग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग;

(ङ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती के लिये संचालित की गई परीक्षा;

(च) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) “प्रबंधन समिति” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय की प्रबंधन समिति ;

- (ज) "नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय सहायता से स्थापित शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय;
- (झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ञ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कॉलम (6) में यथाविनिर्दिष्ट पदों के लिए सरकार/ विभाग द्वारा गठित चयन समिति;
- (ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न विभिन्न अनुसूचियां;
- (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—ये नियम मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में नियुक्त तृतीय श्रेणी लिपिकीय कर्मचारियों पर लागू होंगे.

4. **वर्गीकरण तथा संविदा पारिश्रमिक.**—पदों का वर्गीकरण तथा संविदा के पारिश्रमिक की रकम ऐसी होगी जैसी कि अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट की जाए.

5. **संविदा भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**—अभ्यर्थी को पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना होंगी, अर्थात् :—

- (1) **आयु.**—नियुक्ति के लिए नियत न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा की गणना जो कि क्रमशः 18 एवं 35 वर्ष होगी, उस केलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी से की जाएगी, जिसमें रिक्त पद की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा.
- (एक) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी. विधवा/ परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष का अतिरिक्त शिथिलीकरण होगा;
- (तीन) उन अभ्यर्थियों के लिए जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हों, सामान्य उच्चतर आयु 2 वर्ष की सीमा तक शिथिलनीय होगी;
- (चार) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पार्टनर के मामले में सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (पांच) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (छह) तृतीय श्रेणी के पदों पर सेवा करने के योग्य निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार 10 वर्ष की विशेष छूट होगी.

- (2) अर्हता.—लिपिकीय संवर्ग के पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता अनुसूची-एक के कॉलम (4) व (5) के अनुसार होगी।
- (3) चयन की तारीख को, मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
- (4) आवेदक को अपने आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त/जारी किया गया मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (6) अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- (7) संविदा सेवा में नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन, पुलिस सत्यापन जिला पुलिस के माध्यम से किया जाएगा।
- (8) संविदा कर्मचारी की नियुक्ति, सिविल सर्जन द्वारा या राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से गठित जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए शारीरिक समर्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर की जाएगी।

6. चयन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया.—नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां, इन नियमों के लागू होने के पश्चात् की जाएंगी।

- (1) पद.—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के लिपिकीय संवर्ग के रिक्त पदों की संख्या संचालक, तकनीकी शिक्षा द्वारा निर्धारित की जाएगी जो कि अनुसूची-दो के अधीन विनिर्दिष्ट पदों की संख्या से किसी भी समय अधिक नहीं होगी;
- (2) चयन तथा नियुक्ति.—अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए समस्त पदों पर नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर संबंधित संस्था की प्रबंध समिति के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी;
- (3) आरक्षण.—(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों तथा इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (ख) पिछड़ी आदिम जनजातियों के लिए विशेष उपबंध.—जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहरिया जनजाति, जिला बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल तथा उमरिया की बैगा जनजाति एवं जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति से संबंधित आवेदक यदि विहित की गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं तथा अन्य पात्रता रखते हैं, तो उन्हें इन नियमों में उल्लिखित चयन प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना संबंधित नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय द्वारा संविदा तकनीकी संवर्ग पद पर नियोजित किया जाएगा। ये अभ्यर्थी, केन्द्रीय सहायता से स्थापित राज्य के किसी भी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में इस प्रावधान का लाभ अभिप्राप्त करने के लिए योग्य होंगे। उस दशा में जब प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध कुल पदों से अधिक हो तो चयन, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम से किया जाएगा।
- (ग) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों तथा इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद (क्षैतिज आधार पर) आरक्षित रखे जाएंगे;

(घ) रिक्त पदों के प्रत्येक संवर्ग के लिए (क्षैतिज आधार पर) आरक्षण निम्नानुसार होगा :—

(एक) महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत;

(दो) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 33 के परन्तुक के अधीन रहते हुए, निःशक्त व्यक्तियों के लिए 6 प्रतिशत, (दृष्टि बाधित के लिए 2 प्रतिशत, श्रवण बाधित के लिए 2 प्रतिशत तथा अस्थि जन्य निःशक्त के लिए 2 प्रतिशत) (अनुसूची-तीन के अनुसार);

(4) **चयन प्रक्रिया.**—संविदा सेवा में पदों को भरने के लिए परिशिष्ट-एक के पैरा 2(क) के अनुसार लिखित, कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे अथवा परिशिष्ट के पैरा 2(ख) के अनुसार केवल साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा;

(5) **चयन सूची.**—चयन समिति, लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार के आधार पर योग्यता सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार करेगी. उक्त सूची की वैधता परीक्षा होने के पश्चात् एक वर्ष तक तथा प्रतीक्षा सूची की वैधता डेढ़ वर्ष तक के लिए या अगली परीक्षा आयोजित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी.

चयन सूची से नियुक्त, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अधीन, यथास्थिति सरकार द्वारा विहित तथा संबंधित संस्था द्वारा संधारित रोस्टर के अनुसार की जाएगी.

(6) **संविदा नियोजन की कालावधि.**—(1) लिपिकीय संवर्ग के पद पर चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को किसी संस्था में अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिए संविदा पर नियोजित किया जाएगा. परन्तु सरकार के निर्देश पर, चयनित व्यक्ति का नियोजन आवश्यकतानुसार तीन वर्ष से कम कालावधि के लिए किया जा सकेगा एवं उसकी संविदा की कालावधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी. उससे इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-दो में विहित किए गए प्ररूप में संविदा करने की अपेक्षा की जाएगी. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए नियोजन प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन विहित प्ररूप में संधारित किया जाएगा.

(2) **संविदा कालावधि का विस्तार.**—(एक) प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट समिति की अनुशंसा के आधार पर, नियुक्त प्राधिकारी, पिछले संपादित कार्य, आचरण, प्रदर्शन आदि के आधार पर संविदा कालावधि में तीन वर्ष की और वृद्धि कर सकेगा. संविदा की प्रत्येक तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण होने पर, उसकी संविदा, कालावधि आगामी अवधि के लिए बढ़ाए जाने पर, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति अपने पूर्व के संविदा पारिश्रमिक की तुलना में अपने संविदा पारिश्रमिक में 15 प्रतिशत वृद्धि का हकदार होगा;

(दो) तीन वर्ष से अधिक की संविदा सेवा पूर्ण होने पर भर्ती प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाएगा;

(तीन) प्रत्येक संविदा कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, नई संविदा निष्पादित करनी होगी;

(चार) उपखण्ड (एक) एवं (दो) के अधीन संविदा कालावधि में वृद्धि, 65 वर्ष की आयु तक की जा सकेगी.

7. **अन्य शर्तें**—(1) चयन के पश्चात् आवेदक को नियोक्ता से 100/- रुपये के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर, विहित प्ररूप में अनुबंध करना होगा.

(2) चयनित व्यक्ति के लिए, यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर, विहित प्ररूप में अनुबंध कर संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करे. उक्त कालावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने और/ या अनुबंध न किये जाने की दशा में, संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी.

(3) यदि संविदा पर नियुक्त सेवा का सदस्य बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति, ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी.

(4) संविदा अवधि का अवसान होने के पूर्व, इन नियमों के अधीन किसी भी पक्षकार द्वारा एक मास की सूचना देकर या उसके बदले में एक मास के संविदा पारिश्रमिक का भुगतान कर सेवाओं का अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

(5) सेवा की अन्य शर्तें संविदा अनुबंध में अधिकथित किए गए अनुसार होंगी।

(6) किसी भी संविदा कर्मचारी को उसकी पदस्थापना के वास्तविक स्थान से अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा एवं उन्हें नियुक्त संस्था पर ही अपना मुख्यालय रखना होगा। ये कर्मचारी संस्था मुख्यालय पर ही निवास करेंगे तथा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

8. **निरहताएं.**—कोई भी व्यक्ति लिपिकीय संविदा कर्मचारी के रूप में भर्ती नहीं किया जाएगा:—

(एक) यदि वह पूर्व में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सहकारी सोसाइटी या केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से सेवोन्मुक्त किया गया हो ;

(दो) यदि वह किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्बलित हो;

(तीन) यदि वह महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो :

परन्तु जहां ऐसा कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो नियुक्ति को न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जाएगा ;

(चार) यदि अभ्यर्थी की एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं और महिला अभ्यर्थी के मामले में यदि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जिसकी पूर्व से ही एक पत्नी जीवित हो ;

(पांच) यदि अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है;

(छह) यदि अभ्यर्थी, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या केन्द्रीय / राज्य सरकार का कोई संगठन या किसी शासकीय सहायता प्राप्त संगठन का कर्मचारी है और यदि वह विद्यमान नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है ;

(सात) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के समर्थन में किसी भी साधन से अभिप्राप्त किया गया कोई प्रयास उसके परीक्षा / चयन में उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरहता समझा जाएगा ;

(आठ) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ;

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा।

9. **शासकीय सेवकों की नियुक्ति.**—वर्तमान में शासकीय सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में धारित पद से उच्चतर पद पर कार्य करने की वांछा करते हों, भी उक्त पदों हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे और उन्हें ऐसे पद हेतु नियत किए गए पूर्ण वेतनमान के साथ-साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत समस्त अन्य भत्ते दिए जाएंगे तथा संविदा पद पर कार्य करने की कालावधि में धारणाधिकार अधिकतम 3 वर्ष होगा। ऐसे विभागीय अभ्यर्थियों को उच्चतर पदों पर चयन के समय अधिमान दिया जाएगा।

10. **सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी की नियुक्ति.**—सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी को अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक निम्न शर्तों के अधीन संचालक, तकनीकी शिक्षा की अनुमति / अनुमोदन के पश्चात् सीधे संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी:—

(एक) कर्मचारी को जिला मेडिकल बोर्ड से शारीरिक समर्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(दो) कर्मचारी को दी जाने वाली संविदा राशि / पारिश्रमिक जिसमें पेंशन सम्मिलित है सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी;

(तीन) कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पूर्व की कालावधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के आधार पर किए गए मूल्यांकन के पश्चात्, सेवानिवृत्ति के समय संस्था प्रमुख की अनुशंसा आवश्यक होगी।

11. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में सक्षम एजेन्सी / विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा.**—परीक्षा/ साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में सक्षम एजेन्सी / विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे सक्षम एजेन्सी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

12. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिये अपेक्षित शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

13. **निर्वचन.**—इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा। जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

### परिशिष्ट-एक

**तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में लिपिकीय संवर्ग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के संविदा आधार पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया**

1. **विज्ञापन के लिये प्रक्रिया.**—(एक) तृतीय श्रेणी लिपिकीय संवर्ग के रिक्त पदों हेतु संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा समस्त संस्थाओं के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगी।

(दो) अभ्यर्थी को एक से अधिक पदों और भिन्न-भिन्न संस्थाओं के लिए पृथक्-पृथक् आवेदन करना होगा।

(तीन) भर्ती से संबंधित विज्ञापन, कार्यालय के सूचना पटल एवं विभागीय वेब साइट पर भी यथासंभव प्रदर्शित किया जाएगा।

(चार) विज्ञापन की एक प्रति स्थानीय रोजगार कार्यालय में भी भेजी जाएगी।

2. **चयन के मानदण्ड.**—(क) **लिखित परीक्षा.**— तृतीय श्रेणी लिपिकीय संवर्ग संविदा नियुक्ति के चयन के लिए लिखित/कौशल परीक्षा विभाग द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत एजेन्सी जैसे व्यापम आदि के माध्यम से आयोजित की जाएगी। पद विशेष हेतु लिखित परीक्षा के साथ संबंधित व्यवसाय की कौशल परीक्षा भी यथानिर्णय ली जा सकेगी। लिखित/कौशल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के अनुपात में अधिकतम 10 गुना संख्या में बुलाया जाएगा। समस्त नियुक्तियां, संस्था के प्राचार्य द्वारा संबंधित चयन समिति की सिफारिश पर लिखित / कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के परिणाम तथा निम्नलिखित चयन के मापदण्डों के आधार पर की जाएगी :—

(एक) लिखित/कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के अनुपात में	— अधिकतम 75 अंक
(दो) कार्यानुभव के लिए (अनुसूची-एक में उल्लिखित अनुभव के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक).	— अधिकतम 5 अंक
(तीन) राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/राष्ट्रीय टीम में प्रतिनिधित्व पर	— अधिकतम 5 अंक
(चार) एन.सी.सी. "सी" प्रमाण-पत्र	— अधिकतम 5 अंक
(पांच) साक्षात्कार	— अधिकतम 10 अंक
योग . . .	<u>100 अंक</u>

(ख) **केवल साक्षात्कार की स्थिति में.**—साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के अनुपात में अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। समस्त नियुक्तियां संबंधित चयन समिति की सिफारिश पर संस्था के प्राचार्य द्वारा साक्षात्कार के परिणाम तथा निम्नलिखित चयन के मापदण्डों के आधार पर की जाएगी :—

(एक) पद के लिए आवश्यक अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के अनुपात में — अधिकतम 70 अंक

(दो)	कार्यानुभव के लिए (अनुसूची-एक में उल्लिखित अनुभव के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक).	—	अधिकतम 5 अंक
(तीन)	राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/राष्ट्रीय टीम में प्रतिनिधित्व करने पर	—	अधिकतम 5 अंक
	1. एन.सी.सी. "सी" प्रमाण-पत्र	—	अधिकतम 5 अंक
	2. साक्षात्कार	—	अधिकतम 15 अंक
योग . . .			100 अंक

(3) लिखित परीक्षा के लिए प्रक्रिया.—(1) संविदा नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए, प्राधिकृत एजेंसी यथाविहित परीक्षा लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया तथा परीक्षा के ब्यौरे समाचार-पत्र में विज्ञापित करेगी.

(2) संविदा नियुक्ति भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र के प्रत्येक भाग में अर्ह होने के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत श्रेणीवार/प्रवर्गवार निम्नानुसार होगा :—

अनुक्रमांक	पद का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट लिपिकीय संवर्ग के पद	30 प्रतिशत	40 प्रतिशत

(3) लिखित परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न-पत्र होगा. 50 अंकों की (जहां लागू हो) अतिरिक्त कौशल परीक्षा होगी. लिखित परीक्षा के अंकों का वितरण निम्नानुसार होगा:—

अनुक्रमांक	पद का नाम	विषय	अधिकतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूची-एक के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के पद	1. सामान्य ज्ञान	25
		2. सामान्य गणित*	25
		3. हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता	25
		4. कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान	25
		हिन्दी/ अंग्रेजी टाइपिंग की दक्षता (कम्प्यूटर का उपयोग करते हुए)	50

\*सामान्य गणित विषय के प्रश्न-पत्र का स्तर 10वीं कक्षा के पाठ्य विवरण के अनुसार होगा.

(4) चयन सूची तैयार किया जाना.—पात्रता परीक्षा/ साक्षात्कार के परिणाम जारी होने के उपरांत चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता के क्रम में रखते हुए, चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसमें उतनी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे जैसा विभाग द्वारा अपेक्षित/निर्देशित किया जाए.

## परिशिष्ट-दो

(100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

संविदा का प्रारूप  
(नियत वेतन पर नियुक्ति)

प्रथम पक्षकार (नियोजक)	-	प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय ..... ..... मध्यप्रदेश, जो कि स्वीकृत ..... पद पर नियुक्ति हेतु चयनकर्ता होंगे (जो कि इस संविदा के रूप में विलेख में सुविधा की दृष्टि से प्रथम पक्षकार के नाम से संबोधित होंगे)
द्वितीय पक्षकार (चयनित अभ्यर्थी)	-	श्री ..... आत्मज/आत्मजा ..... ..... आयु . . . . . निवास/कार्यालय ..... (जो कि इस संविधा विलेख में सुविधा की दृष्टि से द्वितीय पक्षकार के नाम से संबोधित होंगे).

## अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :—

1. यह कि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय ..... में स्वीकृत ..... पद पर निश्चित वेतन पर द्वितीय पक्षकार का चयन किया जा रहा है, जो नियुक्ति दिनांक . . . . से केवल 03 वर्ष की अवधि के लिये विधिमाम्य होगा. नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष के उपरांत सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी. नियत सेवा अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्षकार नियमितीकरण का दावा करने का पात्र नहीं होगा. ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार द्वारा सेवा संबंधी किसी भी प्रकार का वाद, विवाद या दावा आदि मान्य नहीं किया जाएगा तथा विधि के न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा.
2. यह कि, इन संविदा नियमों के अधीन नियुक्त कर्मचारी शासकीय सेवक नहीं माना जाएगा संविदा में कर्मचारी, सरकारी सेवा में नियमित होने तथा नियमित वेतनमान के हकदार नहीं होंगे.
3. नियोजित कर्मचारी को मंहगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा;
4. यह कि नियुक्त कर्मचारी, एक केलेण्डर वर्ष में केवल 13 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा. वे किसी भी प्रकार के अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे.
5. यह कि, चयनित द्वितीय पक्षकार को शासकीय कार्य हेतु यात्रा भत्ता मध्यप्रदेश शासन के नियम अनुसार देय होगा. उक्त भत्ते के अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों के समान किसी भी प्रकार की अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा और न ही अन्य कोई भत्ते देय होंगे. जिसकी सहमति द्वितीय पक्षकार के द्वारा अनुबंध पत्र पर अपने हस्ताक्षर के माध्यम से प्रदान की जाती है.
6. यह कि चयनित द्वितीय पक्षकार के विरुद्ध गंभीर शिकायत मिलने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अवांछनीय/राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होने अथवा कार्य के प्रति गंभीर अनियमितता पाए जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार का होगा. अतः उपरोक्त किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध होने पर द्वितीय पक्षकार की सेवाएं बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार के पास होगा जिसके लिये द्वितीय पक्षकार को आपत्ति नहीं होगी.



7. यह कि, संविदा सेवा के दौरान द्वितीय पक्षकार, किसी व्यक्ति को गंभीर क्षति कारित करता है अथवा स्वयं किसी गंभीर क्षति से ग्रसित होता है अथवा अन्य कोई शारीरिक विकलांगता से ग्रसित होता है अथवा मृत्यु कारित (आत्महत्या) करता है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार अथवा उसकी ओर से परिवार के सदस्य द्वारा किसी भी प्रकार का दावा आदि मान्य नहीं किया जाएगा. सेवा शर्तों के विरुद्ध अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थी के परिवार के किसी भी सदस्य को सेवा में नियुक्ति/अनुकम्पा नियुक्ति आदि प्रदान नहीं की जाएगी. जिस हेतु द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होगी.
8. यह कि, यदि द्वितीय पक्षकार उक्त 03 वर्ष की समाप्ति के पूर्व अपनी सेवा छोड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार को, 01 मास पूर्व नियुक्तकर्ता अधिकारी को सूचना देनी होगी अन्यथा ऐसी स्थिति में संस्था में 01 मास का वेतन एकमुश्त जमा कर पावती अभिप्राप्त करना होगी एवं संस्था से अदेय प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करना होगा.
9. यह कि, द्वितीय पक्षकार की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाए जाने अथवा अन्य कारणों से उसकी सेवाएं बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, जिसकी द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होगी.
10. यह कि, उक्त नियुक्ति के संविदा पत्र में अनुबन्ध पत्र में यदि कोई तथ्य रह जाता है या प्रथम पक्षकार द्वारा मध्यप्रदेश शासन के किसी संशोधित अथवा परिवर्तित नियमों के कारण सेवा संविदा में जोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में एक अनुपूरक संविदा निष्पादित की जाएगी, जो द्वितीय पक्षकार को मान्य होगी एवं जिस पर द्वितीय पक्षकार हस्ताक्षर करने का वचन देता है.

मैंने ऊपर उल्लिखित संविदा की सेवा शर्तों को ठीक से पढ़ लिया है. अतः मेरे द्वारा आज दिनांक . . . . . दिन . . . . . वर्ष . . . . .को पूर्ण होशो हवास में बिना किसी डर या दबाव के दो गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षरों से यह नियुक्ति अनुबंध-पत्र वास्ते सहमति स्वरूप निष्पादित कर दिया है, ताकि सनद रहे एवं वक्त जरूरत पर काम आये.

हस्ताक्षर (प्रथम पक्षकार) . . . . .

(नियुक्तकर्ता)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्षकार) . . . . .

(चयनित अभ्यर्थी)

हस्ताक्षर साक्षी:—

1. हस्ताक्षर . . . . .

नाम . . . . .

पता . . . . .

2. हस्ताक्षर . . . . .

नाम . . . . .

पता . . . . .

अनुसूची-एक  
(नियम 5 तथा 7 देखिए)

सेवा में सम्मिलित पदों का वर्गीकरण तथा पारिश्रमिक

अनु- क्रमांक	संविदा सेवा में सम्मिलित पद	मासिक संविदा पारिश्रमिक (रूपये में)	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	अनुभव	चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मुख्य लिपिक	12000/-	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की उपाधी के साथ 1. लेखा परीक्षा उत्तीर्ण हो. 2. कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान/ अनुभव होना अनिवार्य है.	शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था में 10 वर्ष का कार्यानुभव जिसमें से 3 वर्ष का अनुभव लेखापाल/भण्डार लिपिक के पद पर होना आवश्यक है.	(एक) संचालक, तकनीकी शिक्षा—अध्यक्ष (दो) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय का एक प्राचार्य—सदस्य (तीन) आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि जो कि प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी (व्याख्याता) के स्तर से कम न हो—सदस्य (चार) संबंधित संकाय का विषय विशेषज्ञ जो विभागाध्यक्ष/व्याख्याता (प्रवर श्रेणी) स्तर से कम का न हो—सदस्य.	संबंधित संस्था का प्राचार्य
2.	लेखापाल	11500/-	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से वाणिज्य संकाय में स्नातक की उपाधी के साथ 1. लेखा परीक्षा उत्तीर्ण हो. 2. कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान/ अनुभव होना अनिवार्य है.	शासकीय /अर्द्ध शासकीय संस्था में सहायक ग्रेड-3 या समकक्ष पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव हो.	—तदैव—	—तदैव—
3.	सहायक ग्रेड-2/ रिकार्ड कीपर	11500/-	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की उपाधी के साथ कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान/ अनुभव होना अनिवार्य है.	शासकीय/ अर्द्ध शासकीय संस्था में सहायक ग्रेड-3 या समकक्ष के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव हो.	—तदैव—	—तदैव—
4.	स्टोर कीपर/ केयर टेकर	11500/-	1. (क) माध्यमिक शिक्षा मंडल या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण हो. (ख) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/ बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो.	शासकीय/ अर्द्ध शासकीय संस्था में 5 वर्ष का कार्यानुभव हो.	—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>(ग) अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को अधिमानता दी जाएगी.</p> <p>(घ) निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है:—</p> <p>(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि.</p> <p>(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि.</p> <p>(तीन) डी ओ इ ए सी सी. से पत्रोपाधि स्तर की परीक्षा.</p> <p>(चार) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट में पत्रोपाधि.</p>			
5.	सहायक ग्रेड-3	10500/-	<p>1. माध्यमिक शिक्षा मंडल या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण हो.</p> <p>2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/ बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो.</p> <p>3. अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को अधिमानता दी जाएगी.</p> <p>4. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है:—</p> <p>(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि.</p> <p>(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि.</p> <p>(तीन) डी ओ इ ए सी सी से पत्रोपाधि स्तर की परीक्षा.</p> <p>(चार) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट में पत्रोपाधि.</p>	शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था में 5 वर्ष का कार्यानुभव हो.	<p>(एक) संचालक, तकनीकी शिक्षा— अध्यक्ष</p> <p>(दो) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय का एक प्राचार्य—सदस्य</p> <p>(तीन) आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि जो कि प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी (व्याख्याता) के स्तर से कम न हो—सदस्य</p> <p>(चार) संबंधित संकाय का विषय विशेषज्ञ जो विभागाध्यक्ष/व्याख्याता (प्रवर श्रेणी) स्तर से कम का न हो—सदस्य.</p>	संबंधित संस्था का प्राचार्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	ग्रंथपाल लिपिक	10500/-	<p>1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से विज्ञान संकाय में स्नातक की उपाधि.</p> <p>2. मान्यताप्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण.</p>	—	<p>(एक) संचालक, तकनीकी शिक्षा—अध्यक्ष</p> <p>(दो) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय का एक प्राचार्य—सदस्य</p> <p>(तीन) आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि जो कि प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी (व्याख्याता) के स्तर से कम न हो—सदस्य</p> <p>(चार) संबंधित संकाय का विषय विशेषज्ञ जो विभागाध्यक्ष/व्याख्याता (प्रवर श्रेणी) स्तर से कम का न हो—सदस्य.</p>	संबंधित संस्था का प्राचार्य
7.	शीघ्रलेखक	11500/-	<p>1. माध्यमिक शिक्षा मंडल या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण हो.</p> <p>2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/ बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो.</p> <p>3. अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को अधिमानता दी जाएगी.</p> <p>4. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है:—</p> <p>(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि.</p> <p>(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि.</p> <p>(तीन) डी ओ इ ए सी सी. से पत्रोपाधि स्तर की परीक्षा.</p> <p>(चार) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट में पत्रोपाधि.</p>	शासकीय/ अर्द्ध शासकीय संस्था में 5 वर्ष का कार्यानुभव.	—तदैव—	—तदैव—
8.	स्टेनो टाइपिस्ट	10500/-	<p>1. माध्यमिक शिक्षा मंडल या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण हो.</p> <p>2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्/ बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो.</p> <p>3. अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को अधिमानता दी जाएगी.</p>	—	—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है:— (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि. (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रोपाधि. (तीन) डी ओ इ ए सी सी. से पत्रोपाधि स्तर की परीक्षा. (चार) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट में पत्रोपाधि.			
9. मेट्रन	10500/-	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से स्नातक की उपाधि.	किसी शासकीय /अर्द्ध शासकीय संस्था में वार्डन/ मेट्रन के पद पर एक वर्ष का अनुभव.	(एक) संचालक, तकनीकी शिक्षा— अध्यक्ष. (दो) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का एक प्राचार्य—सदस्य (तीन) आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि जो कि प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी (व्याख्याता) के स्तर से कम न हो—सदस्य (चार) संबंधित संकाय का विषय विशेषज्ञ जो विभागाध्यक्ष/ व्याख्याता (प्रवर श्रेणी) स्तर से कम का न हो—सदस्य.	संबंधित संस्था का प्राचार्य.	

अनुसूची-दो  
(नियम 7(1) देखिए)

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम												
		मुख्य लिपिक	लेखापाल	स्टोर कीपर	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-3	ग्रंथपाल लिपिक	स्टेनोग्राफर	केयर टेकर	मेट्रन	रिकार्ड कीपर	स्टेनो टाइपिस्ट	योग	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	शिवपुरी	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद
2	रीवा	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद
3	डिण्डौरी	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद
4	सीधी	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद
5	श्योंपुर	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद
6	दतिया	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	उमरिया	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद
8	मंदसौर	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद
9	शाजापुर	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद
10	देवास	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद
11	रायसेन	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद
12	कटनी	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद
13	अनूपपुर	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद
14	अलीराजपुर	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद
15	जतारा	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	कुल स्वीकृत पद
16	पवई	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	कुल स्वीकृत पद
17	संधवा	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	कुल स्वीकृत पद
18	नसरुल्लागंज	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	कुल स्वीकृत पद
19	इटारसी	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	कुल स्वीकृत पद
20	राजगढ़	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	कुल स्वीकृत पद
21	सिरोंज	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	कुल स्वीकृत पद
योग . .		21	21	21	21	40	12	21	12	12	12	12	205	—

## अनुसूची-तीन

निःशक्तजन हेतु नए पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के लिपिकीय पदों की पहचान

(कुल स्वीकृत पद-205)

क्र. (1)	पॉलीटेक्निक महाविद्यालय का नाम (2)	पद का नाम (3)	पद संख्या (4)	अस्थि/दृष्टि/श्रवण बाधित (5)
1	कटनी	सहायक ग्रेड-3	1	अस्थि बाधित
2	रीवा	सहायक ग्रेड-3	1	दृष्टि बाधित
3	डिण्डौरी	सहायक ग्रेड-3	1	श्रवण बाधित
4	देवास	सहायक ग्रेड-2	1	अस्थि बाधित
5	इटारसी	सहायक ग्रेड-2	1	दृष्टि बाधित
6	सीधी	ग्रंथपाल लिपिक	1	श्रवण बाधित
7	संधवा	शीघ्रलेखक	1	श्रवण बाधित
8	श्योपुर	रिकार्ड कीपर	1	अस्थि बाधित
9	शिवपुरी	स्टेनोग्राफिस्ट	1	दृष्टि बाधित
10	नसरुल्लागंज	शीघ्रलेखक	1	दृष्टि बाधित
11	राजगढ़	केयर टेकर	1	अस्थि बाधित
12	सिरोंज	स्टोर कीपर	1	श्रवण बाधित
कुल . .			12	

Bhopal, the 25th January 2014

No. F-1-4-2014-XLII-(1).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the State Government, hereby makes the following rules relating to recruitment and condition of service to class III employees of the Ministerial cadre in the new Government Polytechnic Colleges under the Department of Technical Education and Skill Development, namely:—

### RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Recruitment on Contract basis of the Class III employees of the Ministerial Cadre in the new Government Polytechnic Colleges under the Department of Technical Education and Skill Development Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires:—

- (a) “Appointing Authority” means Principal/ Institution Head of the concerning College;
- (b) “Contract amount” means the amount as specified in column (3) of Schedule 1;
- (c) “Contract Appointment” means a person appointed on the contract basis under these rules;
- (d) “Department” means Department of Technical Education and Skill Development, Government of Madhya Pradesh;
- (e) “Examination” means the examination conducted for the recruitment under these rule;
- (f) “Government” means the Government of Madhya Pradesh;
- (g) “Managing Committee” means managing committee of any Polytechnic College registered under the Madhya Pradesh Society Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973);
- (h) “New Government Polytechnic Colleges” means Government Polytechnic Colleges established with the Central assistance;
- (i) “Other Backward Classes” means the other backward classes of the Citizens as specified by notification No. F-85-XXV-4-84, dated 26th December 1984 as amended by the State Government from time to time;
- (j) “Selection Committee” means the selection committee constituted by the Government/Department for posts as specified in column (6) of Schedule-1;
- (k) “Schedule” means various Schedules appended to these rules;
- (l) “Scheduled Caste” means any caste, race or tribe or part of, or group within caste, race or tribe specified as scheduled caste with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (m) “Scheduled Tribes” means any tribes or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community specified as scheduled tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India.

3. **Scope and Application.**—These rules shall apply to the Class III Ministerial employees appointed in the New Polytechnic Colleges established under the Department of Technical Education and Skill Development, Government of Madhya Pradesh.

4. **Classification and contract Remuneration.**—The classification of posts and amount of contract remuneration shall be such as may be specified in Schedule-I.

**5. Conditions of Eligibility for contract Recruitment.**—In order to be eligible a candidate must fulfill the following conditions, namely :—

- (1) **Age.**—The calculation of the minimum and the maximum age limit fixed for the appointment, which shall be 18 and 35 years respectively, shall be made from 1st day of January of that calendar year in which the advertisement for the recruitment on the vacant post shall be published.
  - (i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years in accordance with the directions issued by the General Administration Department to the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes;
  - (ii) In the case of women candidates the upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Special provisions for the appointment of women) Rules, 1997. There shall be an additional relaxation of 5 years for the widow/ destitute/ divorced women candidates;
  - (iii) The general upper age limit shall be relaxable up to the limit of 2 years for those candidates who hold green card under the Family Welfare Programme;
  - (iv) The general upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years in the case of superior caste partner of the awarded couple under the Inter Caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department;
  - (v) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of “Vikram Award” holder candidates;
  - (vi) There shall be special relaxation of 10 years in accordance with the order of General Administration Department to the disabled candidates capable to serve on Class III posts;
- (2) **Qualification.**—The educational and order qualification for contract appointment on the posts of Ministerial cadre shall be in accordance with column (4) and (5) of Schedule-I.
- (3) Live registration of a candidate in any of the Employment Exchange of Madhya Pradesh shall be compulsory on the date of Selection.
- (4) It shall be compulsory for an applicant to submit alongwith his application certificate of domicile of Madhya Pradesh given/ issued by any Competent Officer.
- (5) Candidate of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, shall compulsory enclose the Caste Certificate issued by any Competent Officer.
- (6) Candidate shall enclose with his application the Character Certificate given by any Gazetted Officer.
- (7) The Character Verification, Police Verification of a candidate to be appointed in contract service shall be carried out through the District Police.
- (8) The contract employee shall be appointed on furnishing the Medical Fitness Certificate issued by the Civil Surgeon or District Medical Board, duly constituted by the State Government for that purpose.

**6. Selection and Procedure of Appointment.**—The appointment to the vacant posts of New Government Polytechnic Colleges shall be made after the commencement of these rules.

- (1) **Post.**—The number of vacant posts of Ministerial cadre of Class III in the New Government Polytechnic Colleges under the Department of Technical Education and Skill Development, shall be determined by the Director, Technical Educations which shall never exceed the number of posts specified under Schedule-II.



- (2) **Selection and Appointment.**—Appointments on all the posts specified in Schedule-I shall be made by the Appointing Authority after the approval of Managing Committee of the concerned institution on the basis of recommendations of the Selection Committee specified in the Schedule.
- (3) **Reservation.**—(a) Posts shall be reserved in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 and instructions issued by the General Administration Department of the State Government from time to time in this regard;
- (b) **Special Provisions for Primitive Tribes.**—The applicants belonging to the Sahariya Tribe of District Sheopur, Morena, Datia, Gwalior, Bhind, Shivpuri, Guna and Ashoknagar, Baiga Tribe of Districts Balaghat, Mandla, Dindori, Shahdol and Umariya, Bhariya Tribe of Tamiya Development Block of District Chhindwara, possessing prescribed minimum educational qualifications and other eligibility shall be employed on the contract technical cadre post by the New Government Polytechnic College without following the selection procedure mentioned in these rules. The candidates shall be able to obtain the benefit of this provision in any Government Polytechnic of the State established with the Central assistance. In such a situation when number of applications received be more than the total posts available, a selection shall be made on the basis of marks obtained in the examination of the minimum educational qualification in descending order;
- (c) The posts shall be kept reserved (horizontal) for the women candidates in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (Special Provisions for the Appointment of women) Rule, 1997 and orders issued in this regard by the State Government from time to time;
- (d) For each category of vacant posts, the horizontal reservations shall be as follows:—
- (i) 30% for women;
- (ii) Subject to the proviso of Section 33 of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (No. 1 of 1996) 6% for the disabled persons (2% for the visually impaired, 2% for the hearing impaired, 2% for the orthopedically disabled) (as per Schedule-III).
- (4) **Selection Process.**—For filling up the posts in the contract service, the written, skill test and interview may be conducted as per para 2(a) of Appendix-I or only interview may be conducted as per para 2(b) of Appendix.
- (5) **Select List.**—The Selection Committee shall prepare a merit list and waiting list on the basis of written examination/ interview. The validity of the said list shall be upto one year after the examination and validity of the waiting list shall be one and half years or until the next examination conducted, whichever is earlier.
- The appointment from the select list shall be made in accordance with the roster prescribed by the Government and maintained, by the concerning institution under the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994.
- (6) **Period of Contract Employment.**—Every candidate selected for the post of Ministerial Cadre shall be employed on contract for a maximum period of three years in any institution. But on the direction of the Government, the employment of a selected candidate may be made as per requirement for a period less than three years and his contract period may be extended upto three years. He shall be expected to enter into a contract in the form prescribed in the Appendix-II appended to these rules. For every academic year assessment of work, conduct and performance of very contract appointee shall be maintained by the employing authority in the prescribed format.
- (7) **Extension in the Contract Period.**—(i) After the completion of every three years service the Appointing Authority may, on the basis of the recommendations of the committee specified in

Schedule-I, extend the contract period for further three more years on the ground of last executed work, conduct, performance etc. On completion of every three years period of contract, extension of contract period for a further period, the person appointed on contract shall be entitled to 15% increase in his contract remuneration as compared to his previous contract remuneration;

- (ii) On the completion of more than three years of the contract service the recruitment process shall be repeated again;
- (iii) After the expiry of every contract period, a new contract shall have to be executed;
- (iv) The extension in the contract period may be made upto 65 years of age, under sub-clause (ii) and (iii).

**7. Other Conditions.—**(1) After the selection the applicant shall have an agreement with the employer in the prescribed form on the Non-Judicial Stamp of Rs. 100/-.

(2) It shall be compulsory for the selected person to take his charge at the place of his contract appointment, by entering in to contract in the prescribed form, within 15 days from the issue of appointment order. In the case of not taking charge within the said period and/or not entering in to contract, the contract appointment shall itself be deemed cancelled.

(3) If any member of the service appointed on contract remains absent for more than one month from his duty without any special reason and information, then his contract appointment shall itself deemed to be ceased from the date of such absence.

(4) Before the expiry of the contract term, contract of service under these rules may be terminated by either side by giving on months notice or by paying one months contract remuneration in lieu thereof.

(5) The other service conditions will be as laid down in Contract Document.

(6) No contract employees shall be transferred to other place than the place of his actual place of posting and they must keep their headquarter at the place of the institution of their appointment. They shall reside their institutions' headquarter and shall not leave the headquarter without the previous permission of the competent officer.

**8. Disqualification.—**No person shall be employed as ministerial contract employee:—

- (i) If he has been dismissed previously from service of Central Government, State Government, Local body, Co-operative Society or any Public Sector Undertaking under the control of Central Government or State Government ;
- (ii) If he has been convicted of an offence involving moral turpitude;
- (iii) If he has been convicted of an offence against women:

Provided that where such case is pending in a court, the appointment shall be kept pending till the final decision of the court.;

- (iv) If the candidate has more than one wife living, and in case of a female candidate, if she has married a person having a wife living already;
- (v) If the candidate does not possess minimum prescribed qualification for the advertised post;
- (vi) If the candidate is an employee of the Central Government/ State Government or of any Local Authority or of Central Government/State Government Organization or of any Government Aided Organization, and if he does not submit a no Objection Certificate obtained from present employer;
- (vii) Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any other means may be held disqualification by the Appointing Authority for appearing in the examination/ selection;

- (viii) Any candidate who has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001 shall be considered ineligible for appointment on any post or service:

Provided that any candidate who is already having one child and two or more than two children are born in the next delivery which took place on or after 26th January, 2001 will not disqualify for any post or service.

**9. Appointment of Government Servants.**—Such employees working in the Government service at present, who are willing to work on the post higher to the post presently hold, shall also be eligible to apply for the said posts and they shall be given all other allowances sanctioned by the Government along with the full pay scale fixed for such post and the lien maximum up to 3 years) in the period of working on the contract post. Such departmental candidates shall be given priority at the time of selection on the higher posts.

**10. Appointment of Retired Government Servant.**—Contract appointment to the retired Government Servant may be given directly up to the age of 65 years, after the permission/ approval of Director, Technical Education, under the following conditions:—

- (i) the employee shall have to submit Medical Fitness Certificate issued by the District Medical Board;
- (ii) the contract amount/ remuneration including pension etc. to be given to the employee shall not be in excess to the total emoluments at the time of retirement;
- (iii) after the evaluation made on the basis of Confidential Reports of pre-retirement period of the employee, the recommendation of Head of the Institution at the time of retirement, shall be necessary.

**11. Competent Agency/ Departments' decision About the Eligibility of the Candidate shall be Final.**—The decision of the competent agency/ department as to the eligibility or ineligibility of a candidate for examination/ interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission (Admit Card) has not been issued by the competent agency shall be allowed to appear in the examination.

**12. Saving.**—Nothing in these rules shall affect the conditions required to the provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

**13. Interpretation.**—If any question arises as to the interpretation of these rules the same shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

### Appendix-1

#### **Selection process for the recruitment on contract basis of the class III employees of the Ministerial cadre in the New Government Polytechnic Colleges under the Department of Technical Education and Skill Development**

**1. Procedure for Advertisement.**—(i) For the vacant posts of class-III Ministerial an advertisement shall be made for all Institutions by Directorate, Technical Education Madhya Pradesh, in which the last date for submitting the application form shall be clearly mentioned;

(ii) the candidate has to submit separate application for more than one post and for different institutions;

(iii) the advertisement for recruitment shall be displayed on the Notice Board of the Office and as far as possible on the departmental web site as well;

(iv) a copy of advertisement shall also be sent to the local Employment Exchange.

(2) **Selection Criterion.—(A) Written Examination.—**The written/ skill test for selection for contract appointment on Class III Ministerial cadre, shall be conducted through Department or an agency such as Vyapam, authorised by it. For a specific post, written examination along with skill test of the concerning trade may be taken as per the decision. Successful candidates in written/skill test shall be called for interview in the ratio of maximum 10 times of the number of advertised posts. All the appointments shall be made by the Principal of the institution in accordance with the recommendation of the selection committee, on the basis of the result of written/ skill test and interview and the following selection criterion :—

(i)	In the ratio of marks obtained in the written/ skill test	- Maximum 75 Marks
(ii)	For working experience ( 1 mark for every year additional to the experience mentioned in schedule - I )	- Maximum 5 Marks
(iii)	Representation in State/National level sports / National Team	- Maximum 5 Marks
(iv)	NCC "C" Certificate	- Maximum 5 Marks
(v)	Interview	- Maximum 10 Marks
<b>Total :</b>		<b>- 100 Marks</b>

(B) In case of only Interview - Maximum five times candidates in ratio to the number of posts advertised to be called for interview. All the appointments shall be made by Principal in accordance with the recommendation of selection committee and on the basis of the result of written/skill test and interview and the following selection criterion :-

(i)	In ratio of marks obtained in the qualifying examination necessary for the post .	- Maximum 70 Marks
(ii)	For working experience ( 1 mark for every year additional to the experience mentioned in schedule - I ) .	- Maximum 5 Marks
(iii)	Representation in State/National level Sports / National Team	- Maximum 5 Marks
(iv)	NCC "C" Certificate	- Maximum 5 Marks
(v)	Interview	- Maximum 15 Marks
<b>Total :</b>		<b>- 100 Marks</b>

3. **Procedure for Written Examination.—**(1) In order to conduct recruitment examination for contract appointment the authorised agency shall advertised the procedure of applying for the prescribed examination and details of examination in the News Paper.

(2) In order to qualify in each part of the question paper of contract appointment recruitment test the class wise/ category wise minimum percentage of marks shall be as follows:-

Sl. No.	Name of the Post	For Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes	Other
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Posts of Ministerial cadre specified in schedule-I	30%	40%

(3) In the written examination there shall be one question paper of 100 marks. There shall be an additional skill test (wherever applicable) of 50 marks. The distribution of marks of written examination shall be as follows:—

Sl. No.	Name of the Post	Subject	Maximum Marks
1.	Posts of Ministerial cadre as per schedule-I	1.General Knowledge	25
		2.General Maths*	25
		3.Hindi and English efficiency	25
		4.Working Knowledge of Computer	25
		Hindi/ English Typing efficiency (By using Computer)	50

\* The level of the subject of General Maths shall be as per the syllabus of Class 10th.

(4) **Preparation of Select List.**— After the declaration of the result of eligibility test/ interview, a select and waiting list shall be prepared by the selection committee keeping the candidates in the order of merit, in which such number of candidates shall be included, as is required/ directed by the department.

### Appendix - II

(on the stamp paper of Rs. 100/-)

### Draft of Contract

(For appointment on fix salary)

First Party (Employer) —

Principal, Government Polytechnic College

....., Madhya Pradesh, who shall be selector for appointment on the sanctioned post of.....( Who for convenience shall be addressed as First Party in this Deed of Contract)

Second Party (Selected Candidate) Shri..... S/o,D/o.....  
 Aged..... R/o -.....  
 (Who for convenience shall be addressed as  
 Second Party in this Deed of Contract)

The other particulars are as follows :—

1. That, the selection of the Second Party is being made on fixed pay on the post of..... sanctioned in the New Government Polytechnic College established under the Department of Technical Education and Skill Development, which shall be valid for the period of only 03 years from the date of appointment Date..... The service shall itself deemed to be ceased after the expiry of 03 years from the date of appointment. On the completion of the fixed service period, the Second Party shall not have the claim the regularization. In such a situation no case, dispute or claim related with service, by the Second Party, shall be entertained and shall not be questionable in the court of Law.
2. That, employee appointed under these contract rules shall not be deemed to be a Government Servant. These employees shall not be entitled for any regularisation in the Government service and shall not be entitled for regular Pay Scale.
3. No dearness allowance, house rent allowance or any other allowances shall be payable to the employee employed.
4. That, employee appointed shall be entitled for 13 days casual leave 03 days optional leave only in one calendar year. They shall not be entitled for any other leave.
5. That, the travelling allowance shall be paid as per the Government Rules to the selected Second Party for the Government work. Besides the said allowance, no other benefit of any kind, similar to that of the employees of the Government of Madhya Pradesh, shall be permissible, nor any other allowances shall be payable, consent of which is hereby given by the Second Party through his signature on this contract.
6. That, in case of grievous complaint against the selected Second Party or if the candidate is found indulged in unwanted/ political activities or grave irregularity at work, the First Party shall have the right to cease his service at any time. Hence, in case any of the aforesaid allegations are proved, the First Party shall have the right to cease the service of the Second Party at any time without any notice which the Second Party shall have no objection.
7. That, if during the contract service the Second Party causes grievous hurt to any body or if himself suffers any injury or suffers any physical disability or commits suicide than in such a situation no claim of any kind by the Second Party or from his family member on his behalf, shall be acceptable. In any other condition contrary to the service conditions, no appointment to the service /appointment on compassionate grounds etc. shall be provided to any family member of the candidate for which the Second Party shall have no objection.
8. That, if the Second Party wants to leave his service before the expiry of said 03 years in such a situation the Second Party shall have to give prior notice of one month to the Appointing Authority otherwise he shall have to obtain receipt by depositing lump sum salary of one month and has to obtain No-dues Certificate from the institution
9. That, the services of the Second Party may be ceased at any time if not found satisfactory or for other reasons without notice, on which the Second Party shall have no objection.
10. That, if any fact remains left in the contract letter of appointment or added afterwards by the First Party due to any amended or modified rules of Government then in such a situation a supplementary contract shall be executed which shall be acceptable to the Second Party and the Second Party promises to sign the same.

I have carefully gone through the service conditions of above mentioned contract. Hence in witness whereof I have executed this contract on this..... day of ..... without any fear or pressure in the presence of two witnesses so that it can be referred to as and when required .

Signature (First Party).....

(Employer)

Signature (Second Party).....

(Selected Candidate)

Signature witnesses :—

1. Signature .....

Name.....

Address.....

2. Signature .....

Name.....

Address.....

**SCHEDULE-I**  
(See rule 5 and 7)

**Classification and Remuneration of the Posts included in the Service**

S. No.	Posts included in the Contract Service	Montly contract Remune ration (in Rs.)	Minimum Educational Qualification	Experience	Selection Committee	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Head Clerk	12000/-	Bachelors' Degree from an institution recognised by UGC- Along with . 1. Accounts examination passed. 2. Working knowledge of computer/ experience is compulsory.	Working experience of 10 years in any Government/Semi-Government institution, out of which 3 years experience on the post of Accountant/Store Clerk is compulsory.	(i) Director, Technical Education— Chairman (ii) One Principal of the Government Polytechnic College—Member (iii) Representative of the reserve category, who shall not be below the rank of first class Gazetted Officer (Lecturer)—Member (iv) Subject expert of the concerning faculty who shall not be below the rank of Head of the Department/Lecturer (Selection Grade)—Member	Principal of the concerning Insitution.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Accountant	11500/-	Bachelors' Degree in Commerce subject from an institution recognised by UGC- Along with 1. Accounts examination passed. 2. Working knowledge of computer/ experience is compulsory.	Bachelors' Degree in Commerce subject from an institution recognised by UGC- Along with 1. Accounts examination passed. 2. Working knowledge of computer/ experience is compulsory.	Working experience of 5 years in any Government/Semi-Government institution, on the post of Assistant Grade-3 or equivalent.	(i) Director, Technical Education— Chairman (ii) One Principal of the Government Polytechnic College—Member (iii) Representative of the reserve category, who shall not be below the rank of first class Gazetted Officer (Lecturer)—Member (iv) Subject expert of the concerning faculty who shall not be below the rank of Head of the Department/Lecturer (Selection Grade)—Member	Principal of the concerning Institution.
3. Accountant Grade-2/ Record Keeper.	11500/-	Bachelors' Degree from an institution recognised by UGC- Working knowledge of computer/ experience is compulsory.	Bachelors' Degree from an institution recognised by UGC- Working knowledge of computer/ experience is compulsory.	Working experience of 05 years in any Government/ Semi-Government institution, on the post of Accountant Grade-3 or equivalent.	—do—	—do—
4. Store Keeper/ Care Taker.	11500/-	1. (a) Higher Secondary Exam passed (10+2) pattern from Board of Secondary Education, or from any Government recognised institution. (b) Hindi Typing Examination or equivalent examination passed from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Council/Board. (c) Preference shall be given to the person who has passed English Typing Examination. (d) It is compulsory to pass computer examination from any of the following recognised institution— (i) Diploma from all Universities recognised by UGC. (ii) Diploma from all Open Universities recognised by UGC. (iii) Diploma level examination from DOEACC. (iv) Diploma in Modern Office Management from Government Polytechnic College. 2. (a) Accounts examination passed. (b) Working knowledge of computer/experience is compulsory.	1. (a) Higher Secondary Exam passed (10+2) pattern from Board of Secondary Education, or from any Government recognised institution. (b) Hindi Typing Examination or equivalent examination passed from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Council/Board. (c) Preference shall be given to the person who has passed English Typing Examination. (d) It is compulsory to pass computer examination from any of the following recognised institution— (i) Diploma from all Universities recognised by UGC. (ii) Diploma from all Open Universities recognised by UGC. (iii) Diploma level examination from DOEACC. (iv) Diploma in Modern Office Management from Government Polytechnic College. 2. (a) Accounts examination passed. (b) Working knowledge of computer/experience is compulsory.	5 years' working experience in the Government/ Semi-Government institution.	—do—	—do—



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
5.	Assistant Grade-3	10500/-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Higher Secondary Exams. passed (10+2) pattern from Board of Secondary Education, or from any Government recognised institution.</li> <li>2. Hindi Typing Examination or equivalent examination passed from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Council/Board.</li> <li>3. Preference shall be given to the person who has passed English Typing Examination.</li> <li>4. It is compulsory to pass computer examination from any of the following recognised institution—                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Diploma from all Universities recognised by UGC.</li> <li>(ii) Diploma from all Open Universities recognised by UGC.</li> <li>(iii) Diploma level examination from DOEACC.</li> <li>(iv) Diploma in Modern Office Management from Government Polytechnic College.</li> </ol> </li> </ol>	Working experience of 05 years in any Government/Semi-Government institution, on the post of Assistant Grade-3 or equivalent.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Director, Technical Education — Chairman</li> <li>(ii) One Principal of the Government Polytechnic College —Member</li> <li>(iii) Representative of the reserve category, who shall not be below the rank of first class Gazetted Officer (Lecturer) —Member</li> <li>(iv) Subject expert of the concerning faculty who shall not be below the rank of Head of the Department/Lecturer (Selection Grade)—Member</li> </ol>	Principal of the concerning Institution.
6.	Librarian Clerk	10500/-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bachelors' Degree in Science subject from an institution recognised by UGC.</li> <li>2. Certificate Examination passed in Library Science from recognised institution.</li> </ol>	—do—	—do—	—do—
7.	Stenographer	11500/-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Higher Secondary Examination (10+2) pattern passed from Board of Secondary Education, or from any Government recognised institution.</li> <li>2. Shorthand Exam. passed from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Council or an institution recognised by the Government.</li> <li>3. Preference shall be given to the person who has passed English Typing Examination.</li> <li>4. 100 words per minute speed in Hindi shorthand and 40 words per minute speed in typing.</li> <li>5. It is compulsory to pass computer examination from any of the following recognised institution—                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Diploma from any University recognised by UGC;</li> </ol> </li> </ol>	5 years' working experience in the Government/ Semi-Government institution.	—do—	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ii) Diploma from any Open University recognised by UGC; (iii) Diploma level examination from DOEACC; (iv) Diploma in Modern Office Management from Government Polytechnic College.	5 years' working experience in the Government/ Semi-Government institution.	(i) Director, Technical Education — Chairman (ii) One Principal of the Government Polytechnic College —Member (iii) Representative of the reserve category, who shall not be below the rank of first class Gazetted Officer (Lecturer) —Member (iv) Subject expert of the concerning faculty who shall not be below the rank of Head of the Department/Lecturer (Selection Grade)—Member	Principal of the concerning Institution.
8. Steno-Typist	10500/-	1. Higher Secondary Examination (10+2) pattern passed from Board of Secondary Education, or from any Government recognised institution. 2. Shorthand Examination passed from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Council or an institution recognised by the Government. 3. Preference shall be given to the person who has passed English Typing Examination. 4. 100 words per minute speed in Hindi shorthand and 40 words per minute speed in typing. 5. It is compulsory to pass computer examination from any of the following recognised institution— (i) Diploma from all Universities recognised by UGC; (ii) Diploma from all Open Universities recognised by UGC; (iii) Diploma level examination from DOEACC; (iv) Diploma in Modern Office Management from Government Polytechnic College.	—do—	—do—	—do—
9. Matron	10500/-	Bachelors' Degree from an institution recognised by UGC.	One years' working experience of the post of Warden/ Matron in any Government/ Semi-Government institution.	—do—	—do—

SCHEDULE-II  
[See rule-7(1)]

Sl. Name of the		Designation											Total	Remarks
No.	Institution	Head Clerk	Accountant	Store Keeper	Assistant Grade-2	Assistant Grade-3	Librarian Clerk	Stenographer	Caretaker	Matron	Record Keeper	Steno-Typist		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Shivpuri	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12	Post sanctioned in the first year
2.	Rewa	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12	Post sanctioned in the first year
3.	Dindouri	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12	Post sanctioned in the first year
4.	Sidhi	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12	Post sanctioned in the first year
5.	Shyopur	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12	Post sanctioned in the first year
6.	Datia	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	Post sanctioned in the first year
7.	Umariya	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	Post sanctioned in the first year
8.	Mandsaur	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	Post sanctioned in the first year
9.	Shajapur	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	Post sanctioned in the first year
10.	Dewas	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	Post sanctioned in the first year
11.	Raisen	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	Post sanctioned in the first year
12.	Katni	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	Post sanctioned in the first year
13.	Anuppur	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	Post sanctioned in the first year
14.	Alirazpur	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	Post sanctioned in the first year
15.	Jatara	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	Total sanctioned posts
16.	Pawai	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	Total sanctioned posts
17.	Sendhwa	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	Total sanctioned posts
18.	Nasrullaganj	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	Total sanctioned posts
19.	Itarasi	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	Total sanctioned posts
20.	Rajgarh	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	Total sanctioned posts
21.	Sironj	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13	Total sanctioned posts
Total . .		21	21	21	21	40	12	21	12	12	12	12	205	--

SCHEDULE-III

Identification of Ministerial Post of New Polytechnic Colleges for Disabled

(Total Sanctioned Posts-205)

Sl. No.	Name of the Polytechnic College	Name of the post	Number of post	Ortho/Visually/Hearing impaired
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Katni	Assistant Grade-3	1	Orthopedically Impaired
2.	Rewa	Assistant Grade-3	1	Visually Impaired
3.	Dindouri	Assistant Grade-3	1	Hearing Impaired
4.	Devas	Assistant Grade-2	1	Orthopedically Impaired
5.	Itarsi	Assistant Grade-2	1	Visually Impaired
6.	Sidhi	Librarian Clerk	1	Hearing Impaired
7.	Sendhwa	Stenographer	1	Hearing Impaired
8.	Shyopur	Record Keeper	1	Orthopedically Impaired
9.	Shivpuri	Stenotypist	1	Visually Impaired
10.	Nasrullaganj	Stenographer	1	Visually Impaired
11.	Rajgarh	Caretaker	1	Orthopedically Impaired
12.	Sironj	Store Keeper	1	Hearing Impaired
Total . .			12	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्र. एफ. 1-4-2014-बयालीस (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में अलिपिकीय संवर्ग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

### नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में अलिपिकीय संवर्ग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की संविदा आधार पर भर्ती नियम, 2013 है.

(2) ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य/संस्था प्रमुख;
- (ख) “संविदा रकम” से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट रकम;
- (ग) “संविदा नियुक्ति” से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति;
- (घ) “विभाग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग;
- (ङ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती के लिये संचालित की गई परीक्षा;
- (च) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (छ) “प्रबंधन समिति” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय की प्रबंधन समिति ;
- (ज) “नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, केन्द्रीय सहायता से स्थापित शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय;
- (झ) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ञ) “चयन समिति” से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कॉलम (6) में यथाविनिर्दिष्ट पदों के लिए सरकार/ विभाग द्वारा गठित चयन समिति;
- (ट) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न विभिन्न अनुसूचियां;
- (ठ) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—ये नियम मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में नियुक्त तृतीय श्रेणी अलिपिकीय कर्मचारियों पर लागू होंगे.

4. वर्गीकरण तथा संविदा पारिश्रमिक.—पदों का वर्गीकरण तथा संविदा के पारिश्रमिक की रकम ऐसी होगी जैसी कि अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट की जाए.

5. संविदा भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.—अभ्यर्थी को पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना होगी, अर्थात् :—

- (1) आयु.—नियुक्ति के लिए नियत न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा की गणना जो कि क्रमशः 18 एवं 35 वर्ष होगी, उस कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी से की जाएगी, जिसमें रिक्त पद की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा,—
  - (एक) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
  - (दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी. विधवा/ परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष का अतिरिक्त शिथिलीकरण होगा;
  - (तीन) उन अभ्यर्थियों के लिए जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हों, सामान्य उच्चतर आयु 2 वर्ष की सीमा तक शिथिलनीय होगी;
  - (चार) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के स्वर्ण पार्टनर के मामले में सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
  - (पांच) “विक्रम पुरस्कार” धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
  - (छह) तृतीय श्रेणी के पदों पर सेवा करने के योग्य निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार 10 वर्ष की विशेष छूट होगी.
- (2) अर्हता.—अलिपिकीय संवर्ग के पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता अनुसूची-एक के कॉलम (4) व (5) के अनुसार होगी.
- (3) चयन की तारीख को, मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा.
- (4) आवेदक को अपने आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त/जारी किया गया मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
- (5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा.
- (6) अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा.
- (7) संविदा सेवा में नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन, पुलिस सत्यापन जिला पुलिस के माध्यम से किया जाएगा.
- (8) संविदा कर्मचारी की नियुक्ति, सिविल सर्जन द्वारा या राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से गठित जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए शारीरिक समर्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर की जाएगी.

6. चयन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया.—नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां, इन नियमों के लागू होने के पश्चात् की जाएंगी.

- (1) **पद.**—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के अलिपिकीय संवर्ग के रिक्त पदों की संख्या संचालक, तकनीकी शिक्षा द्वारा निर्धारित की जाएगी जो कि अनुसूची-दो के अधीन विनिर्दिष्ट पदों की संख्या से किसी भी समय अधिक नहीं होगी;
- (2) **चयन तथा नियुक्ति.**—अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए समस्त पदों पर नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर संबंधित संस्था की प्रबंध समिति के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी;
- (3) **आरक्षण.**—(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों तथा इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पद आरक्षित रखे जाएंगे.
- (ख) पिछड़ी आदिम जनजातियों के लिए विशेष उपबंध.—जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहरिया जनजाति, जिला बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल तथा उमरिया की बैगा जनजाति एवं जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति से संबंधित आवेदक यदि विहित की गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं तथा अन्य पात्रता रखते हैं, तो उन्हें इन नियमों में उल्लिखित चयन प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना संबंधित नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय द्वारा संविदा तकनीकी संवर्ग पद पर नियोजित किया जाएगा. ये अभ्यर्थी, केन्द्रीय सहायता से स्थापित राज्य के किसी भी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में इस प्रावधान का लाभ अभिप्राप्त करने के लिए योग्य होंगे. उस दशा में जब प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध कुल पदों से अधिक हो तो चयन, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम से किया जाएगा;
- (ग) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों तथा इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद (क्षैतिज आधार पर) आरक्षित रखे जाएंगे;
- (घ) रिक्त पदों के प्रत्येक संवर्ग के लिए (क्षैतिज आधार पर) आरक्षण निम्नानुसार होगा :—
- (एक) महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत;
- (दो) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 33 के परन्तुक के अध्यक्षीन रहते हुए, निःशक्त व्यक्तियों के लिए 6 प्रतिशत, (दृष्टि बाधित के लिए 2 प्रतिशत, श्रवण बाधित के लिए 2 प्रतिशत तथा अस्थि जन्य निःशक्त के लिए 2 प्रतिशत) (अनुसूचित-तीन के अनुसार);
- (4) **चयन प्रक्रिया.**—संविदा सेवा में पदों को भरने के लिए परिशिष्ट-एक के पैरा 2(क) के अनुसार लिखित, कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे अथवा परिशिष्ट के पैरा 2(ख) के अनुसार केवल साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा;
- (5) **चयन सूची.**—चयन समिति, लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार के आधार पर योग्यता सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार करेगी. उक्त सूची की वैधता परीक्षा होने के पश्चात् एक वर्ष तक तथा प्रतीक्षा सूची को वैधता डेढ़ वर्ष तक के लिए या अगली परीक्षा आयोजित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी.
- चयन सूची से नियुक्त, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अधीन, यथास्थिति सरकार द्वारा विहित तथा संबंधित संस्था द्वारा संधारित रोस्टर के अनुसार की जाएगी.
- (6) **संविदा नियोजन की कालावधि.**—(1) अलिपिकीय संवर्ग के पद पर चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को किसी संस्था में अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिए संविदा पर नियोजित किया जाएगा. परन्तु सरकार के निर्देश पर,

चयनित व्यक्ति का नियोजन आवश्यकतानुसार तीन वर्ष से कम कालावधि के लिए किया जा सकेगा एवं उसकी संविदा की कालावधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। उससे इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-दो में विहित किए गए प्ररूप में संविदा करने की अपेक्षा की जाएगी। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए नियोजन प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन विहित प्ररूप में संधारित किया जाएगा।

(7) **संविदा कालावधि का विस्तार.**—(एक) प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट समिति की अनुशंसा के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी, पिछले संपादित कार्य, आचरण, प्रदर्शन आदि के आधार पर संविदा कालावधि में तीन वर्ष की और वृद्धि कर सकेगा। संविदा की प्रत्येक तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण होने पर, उसकी संविदा, कालावधि आगामी अवधि के लिए बढ़ाए जाने पर, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति अपने पूर्व के संविदा पारिश्रमिक की तुलना में अपने संविदा पारिश्रमिक में 15 प्रतिशत वृद्धि का हकदार होगा;

(दो) तीन वर्ष से अधिक की संविदा सेवा पूर्ण होने पर भर्ती प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाएगा;

(तीन) प्रत्येक संविदा कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, नई संविदा निष्पादित करनी होगी;

(चार) उप खण्ड (एक) एवं (दो) के अधीन संविदा कालावधि में वृद्धि, 65 वर्ष की आयु तक की जा सकेगी।

7. **अन्य शर्तें.**—(1) चयन के पश्चात् आवेदक को नियोक्ता से 100/- रुपये के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर, विहित प्ररूप में अनुबंध करना होगा।

(2) चयनित व्यक्ति के लिए, यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर, विहित प्ररूप में अनुबंध कर संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करे। उक्त कालावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने और/ या अनुबंध न किये जाने की दशा में, संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(3) यदि संविदा पर नियुक्त सेवा का सदस्य बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक मास से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति, ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी।

(4) संविदा अवधि का अवसान होने के पूर्व, इन नियमों के अधीन किसी भी पक्षकार द्वारा एक मास की सूचना देकर या उसके बदले में एक मास के संविदा पारिश्रमिक का भुगतान कर सेवाओं का अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

(5) सेवा की अन्य शर्तें संविदा अनुबंध में अधिकथित किए गए अनुसार होंगी।

(6) किसी भी संविदा कर्मचारी को उसकी पदस्थापना के वास्तविक स्थान से अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा एवं उन्हें नियुक्त संस्था पर ही अपना मुख्यालय रखना होगा। ये कर्मचारी संस्था मुख्यालय पर ही निवास करेंगे तथा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

8. **निरहंताएं.**—कोई भी व्यक्ति अलिपिकीय संविदा कर्मचारी के रूप में भर्ती नहीं किया जाएगा :—

(एक) यदि वह पूर्व में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सहकारी सोसाइटी या केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से सेवोन्मुक्त किया गया हो ;

(दो) यदि वह किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो;

(तीन) यदि वह महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो :

परन्तु जहा ऐसा कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो नियुक्ति को न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जाएगा ;

(चार) यदि अभ्यर्थी की एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं और महिला अभ्यर्थी के मामले में यदि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जिसकी पूर्व से ही एक पत्नी जीवित हो ;

- (पांच) यदि अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है;
- (छह) यदि अभ्यर्थी, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या केन्द्रीय/राज्य सरकार का कोई संगठन या किसी शासकीय सहायता प्राप्त संगठन का कर्मचारी है और यदि वह विद्यमान नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है ;
- (सात) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के समर्थन में किसी भी साधन से अभिप्राप्त किया गया कोई प्रयास उसके परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हता समझा जाएगा ;
- (आठ) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा.

9. **सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी की नियुक्ति.**—सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी को अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक निम्न शर्तों के अधीन संचालक, तकनीकी शिक्षा की अनुमति/ अनुमोदन के पश्चात् सीधे संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी:—

- (एक) कर्मचारी को जिला मेडिकल बोर्ड से शारीरिक समर्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा;
- (दो) कर्मचारियों को दी जाने वाली संविदा राशि/ पारिश्रमिक जिसमें पेंशन सम्मिलित है सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी;
- (तीन) कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पूर्व की कालावधि के गोपनीय प्रतिवेदनों के आधार पर किए गए मूल्यांकन के पश्चात्, सेवानिवृत्ति के समय संस्था प्रमुख की अनुशंसा आवश्यक होगी.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में सक्षम एजेन्सी/ विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा.**—परीक्षा/ साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में सक्षम एजेन्सी/ विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे सक्षम एजेन्सी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिये अपेक्षित शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

12. **निर्वचन.**—इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा. जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

### परिशिष्ट-एक

**तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में अलिपिकीय संवर्ग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के संविदा आधार पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया**

1. **विज्ञापन के लिये प्रक्रिया.**—(एक) तृतीय श्रेणी अलिपिकीय संवर्ग संविदा के रिक्त पदों हेतु संचालनालय, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा समस्त संस्थाओं के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगी :—

- (दो) अभ्यर्थी को एक से अधिक पदों और भिन्न-भिन्न संस्थाओं के लिए पृथक्-पृथक् आवेदन करना होगा.
- (तीन) भर्ती से संबंधित विज्ञापन, कार्यालय के सूचना पटल एवं विभागीय वेब साइट पर भी यथासंभव प्रदर्शित किया जाएगा.
- (चार) विज्ञापन की एक प्रति स्थानीय रोजगार कार्यालय में भी भेजी जाएगी.



2. चयन के मापदण्ड.—(क) लिखित परीक्षा.— तृतीय श्रेणी अलिपिकीय संवर्ग संविदा नियुक्ति के चयन के लिए लिखित/कौशल परीक्षा विभाग द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत एजेन्सी जैसे व्यापम आदि के माध्यम से आयोजित की जाएगी. पद विशेष हेतु लिखित परीक्षा के साथ संबंधित व्यवसाय की कौशल परीक्षा भी यथानिर्णय ली जा सकेगी. लिखित/कौशल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के अनुपात में अधिकतम 10 गुना संख्या में बुलाया जाएगा. समस्त नियुक्तियां, संस्था के प्राचार्य द्वारा संबंधित चयन समिति की सिफारिश पर लिखित/ कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के परिणाम तथा निम्नलिखित चयन के मापदण्डों के आधार पर की जाएगी :—

(एक)	लिखित/कौशल परीक्षा में प्रासांकों के अनुपात में	—	अधिकतम 75 अंक
(दो)	कार्यानुभव के लिए (अनुसूची-एक में उल्लिखित अनुभव के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	—	अधिकतम 5 अंक
(तीन)	राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/राष्ट्रीय टीम में प्रतिनिधित्व पर	—	अधिकतम 5 अंक
(चार)	एन.सी.सी. “सी” प्रमाण-पत्र	—	अधिकतम 5 अंक
(पांच)	साक्षात्कार	—	अधिकतम 10 अंक
		योग	— 100 अंक

(ख) केवल साक्षात्कार की स्थिति में.—साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के अनुपात में अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा. समस्त नियुक्तियां संबंधित चयन समिति की सिफारिश पर संस्था के प्राचार्य द्वारा साक्षात्कार के परिणाम तथा निम्नलिखित चयन के मापदण्डों के आधार पर की जाएगी:—

(एक)	पद के लिए आवश्यक अर्हकारी परीक्षा में प्रासांकों के अनुपात में	—	अधिकतम 70 अंक
(दो)	कार्यानुभव के लिए (अनुसूची-एक में उल्लिखित अनुभव के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	—	अधिकतम 5 अंक
(तीन)	राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/राष्ट्रीय टीम में प्रतिनिधित्व करने पर	—	अधिकतम 5 अंक
	1. एन.सी.सी. “सी” प्रमाण-पत्र	—	अधिकतम 5 अंक
	2. साक्षात्कार	—	अधिकतम 15 अंक
		योग	— 100 अंक

(3) लिखित परीक्षा के लिए प्रक्रिया.—(1) संविदा नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए, प्राधिकृत एजेंसी यथा विहित परीक्षा लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया तथा परीक्षा के ब्यौरे समाचार-पत्र में विज्ञापित करेगी.

(2) संविदा नियुक्ति भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र के प्रत्येक भाग में अर्ह होने के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत श्रेणीवार/प्रवर्गवार निम्नानुसार होगा—

अनुक्रमांक	पद का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट अलिपिकीय संवर्ग के पद	30 प्रतिशत	40 प्रतिशत

(3) लिखित परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न-पत्र होगा. 50 अंकों की (जहां लागू हो) अतिरिक्त कौशल परीक्षा होगी. लिखित परीक्षा के अंकों का वितरण निम्नानुसार होगा:—

अनुक्रमांक (1)	पद का नाम (2)	विषय (3)	अधिकतम अंक (4)
1	अनुसूची-एक के अनुसार अलिपिकीय संवर्ग के पद	1. सामान्य ज्ञान 2. विज्ञान (भौतिक शास्त्र/ रसायन शास्त्र) 3. गणित 4. हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता 5. कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान	20 20 20 20 20

(4) चयन सूची तैयार किया जाना.—पात्रता परीक्षा/ साक्षात्कार के परिणाम जारी होने के उपरांत चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता के क्रम में रखते हुए, चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसमें उतनी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे जैसे विभाग द्वारा अपेक्षित/निर्देशित किया जाए.

### परिशिष्ट-दो संविदा का प्रारूप

प्रथम पक्षकार (नियोजक)	-	प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय . . . . . मध्यप्रदेश, जो कि स्वीकृत . . . . . पद पर नियुक्ति हेतु चयनकर्ता होंगे (जो कि इस संविदा के रूप में विलेख में सुविधा की दृष्टि से प्रथम पक्षकार के नाम से संबोधित होंगे)
द्वितीय पक्षकार (चयनित अभ्यर्थी)	-	श्री . . . . . आत्मज/ आत्मजा . . . . . आयु . . . . . निवास/कार्यालय . . . . . (जो कि इस संविधा विलेख में सुविधा की दृष्टि से द्वितीय पक्षकार के नाम से संबोधित होंगे).

अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :—

- यह कि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित नए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय . . . . . में स्वीकृत . . . . . पद पर निश्चित वेतन पर द्वितीय पक्षकार का चयन किया जा रहा है, जो नियुक्ति दिनांक . . . . . से केवल 03 वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगा. नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष के उपरांत सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी. नियत सेवा अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्षकार नियमितीकरण का दावा करने का पात्र नहीं होगा. ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार द्वारा सेवा संबंधी किसी भी प्रकार का वाद विवाद या दावा मान्य नहीं किया जाएगा तथा विधि के न्यायालय में प्रश्नागत नहीं होगा.
- यह कि, इन संविदा नियमों के अधीन नियुक्त कर्मचारी शासकीय सेवक नहीं माना जाएगा संविदा में कर्मचारी, सरकारी सेवा में नियमित होने तथा नियमित वेतनमान के हकदार नहीं होंगे.
- नियोजित कर्मचारी को मंहगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा;
- यह कि नियुक्त कर्मचारी, एक कलैण्डर वर्ष में केवल 13 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा. वे किसी भी प्रकार के अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे.

5. यह कि, चयनित द्वितीय पक्षकार को शासकीय कार्य हेतु यात्रा भत्ता मध्यप्रदेश शासन के नियम अनुसार देय होगा. उक्त भत्ते के अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों के समान किसी भी प्रकार की अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा और न ही अन्य कोई भत्ते देय होंगे. जिसकी सहमति द्वितीय पक्षकार के द्वारा अनुबंध पत्र पर अपने हस्ताक्षर के माध्यम से प्रदान की जाती है.
6. यह कि, चयनित द्वितीय पक्षकार के विरुद्ध गंभीर शिकायत मिलने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अवांछनीय/राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होने अथवा कार्य के प्रति गंभीर अनियमितता पाए जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार का होगा. अतः उपरोक्त किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध होने पर द्वितीय पक्षकार की सेवाएं बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार के पास होगा जिसके लिये द्वितीय पक्षकार को आपत्ति नहीं होगी.
7. यह कि, संविदा सेवा के दौरान द्वितीय पक्षकार, किसी व्यक्ति को गंभीर क्षति कारित करता है अथवा स्वयं किसी गंभीर क्षति से ग्रसित होता है अथवा अन्य कोई शारीरिक विकलांगता से ग्रसित होता है अथवा मृत्यु कारित (आत्महत्या) करता है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार अथवा उसकी ओर से परिवार के सदस्य द्वारा किसी भी प्रकार का दावा आदि मान्य नहीं किया जाएगा. सेवा शर्तों के विरुद्ध अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थी के परिवार के किसी भी सदस्य को सेवा में नियुक्ति/अनुकम्पा नियुक्ति आदि प्रदान नहीं की जाएगी. जिस हेतु द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होगी.
8. यह कि, यदि द्वितीय पक्षकार उक्त 03 वर्ष की समाप्ति के पूर्व अपनी सेवा छोड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार को, 01 मास पूर्व नियुक्तकर्ता अधिकारी को सूचना देनी होगी अन्यथा ऐसी स्थिति में संस्था में 01 मास का वेतन एकमुश्त जमा कर पावती अभिप्राप्त करना होगी एवं संस्था से अदेय प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करना होगा.
9. यह कि, द्वितीय पक्षकार की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाए जाने अथवा अन्य कारणों से उसकी सेवाएं बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, जिसकी द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होगी.
10. यह कि, उक्त नियुक्ति के संविदा पत्र में अनुबन्ध पत्र में यदि कोई तथ्य रह जाता है या प्रथम पक्षकार द्वारा मध्यप्रदेश शासन के किसी संशोधित अथवा परिवर्तित नियमों के कारण सेवा संविदा में जोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में एक अनुपूरक संविदा निष्पादित की जाएगी, जो द्वितीय पक्षकार को मान्य होगी एवं जिस पर द्वितीय पक्षकार हस्ताक्षर करने का वचन देता है.

मैंने ऊपर उल्लिखित संविदा की सेवा शर्तों को ठीक से पढ़ लिया है. अतः मेरे द्वारा आज दिनांक . . . . . दिन . . . . . वर्ष . . . . .को पूर्ण होशो हवास में बिना किसी डर या दबाव के दो गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षरों से यह नियुक्ति अनुबंध-पत्र वास्ते सहमति स्वरूप निष्पादित कर दिया है, ताकि सनद रहे एवं वक्त जरूरत पर काम आये.

हस्ताक्षर (प्रथम पक्षकार) . . . . .

(नियुक्तकर्ता)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्षकार) . . . . .

(चयनित अभ्यर्थी)

हस्ताक्षर साक्षी:—

1. हस्ताक्षर . . . . .

नाम . . . . .

पता . . . . .

2. हस्ताक्षर . . . . .

नाम . . . . .

पता . . . . .

अनुसूची-एक  
(नियम 5 तथा 6 देखिए)

सेवा में सम्मिलित पदों का वर्गीकरण और पारिश्रमिक

अनु- क्रमांक	संविदा सेवा में सम्मिलित पद	मासिक संविदा पारिश्रमिक (रकम रुपये में)	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	अनुभव	चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	तकनीकी सहायक	12500/-	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से इंजीनियरी की उपयुक्त शाखा में पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि या आईटीआई से उचित व्यवसाय (ट्रेड) में एनसीवीटी प्रमाण-पत्र.	5 वर्ष का अनुभव	(एक) संचालक, तकनीकी शिक्षा— अध्यक्ष (दो) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय का प्राचार्य—सदस्य (तीन) आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि जो कि प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के स्तर से कम न हो (व्याख्याता) —सदस्य (चार) संबंधित संकाय का विषय विशेषज्ञ जो की विभागाध्यक्ष/ व्याख्याता की पद श्रेणी से कम का न हो (चयन श्रेणी) —सदस्य	संबंधित संस्था का प्राचार्य
2.	कर्मशाला निर्देशक	12500/-	10वीं कक्षा (हाईस्कूल) उत्तीर्ण के साथ आईटीआई से संबंधित व्यवसाय में एनसीवीटी प्रमाण-पत्र.	संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में 3 वर्ष का अनुभव.	—तदैव—	—तदैव—
3.	कम्प्यूटर आपरेटर	12000/-	1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) प्रणाली में उत्तीर्ण तथा 2. वह निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण हो:— (एक) यूजीसी/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन/साईंस में डिप्लोमा. (दो) यूजीसी से मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ साईंस में डिप्लोमा. (तीन) डीओईएसीसी से समकक्ष डिप्लोमा. (चार) एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन आफिस मेनेजमेंट में डिप्लोमा.	—	—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	मेंटेनेन्स तकनीशियन	11500/-	मैकेनिक/ फिटर ट्रेड में आई.टी.आई से एनसीवीटी का प्रमाण-पत्र.	किसी औद्योगिक संस्थान में पांच वर्ष का कार्य अनुभव जिसमें प्रमुखतः निम्न कार्य संपादित किये जाते हों—  (क) मशीन टूल्स/ यंत्र एवं उपकरणों का रख-रखाव.  (ख) विशेष/आधुनिक उपकरण यथा हाई ड्रॉलिक कंट्रोल, न्यूमेटिक कंट्रोल आदि के उपयोग में लाये जाने वाले आधुनिक उपकरणों के रख-रखाव की जानकारी एवं सुरक्षा विनियमों की जानकारी हो.	—तदैव—	—तदैव—
5.	प्रयोगशाला तकनीशियन	11500/-	यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	—	—तदैव—	—तदैव—
6.	इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर	11500/-	10वीं कक्षा (हाईस्कूल) उत्तीर्ण के साथ आईटीआई से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में एनसीवीटी का प्रमाण-पत्र.	इस व्यवसाय में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव.	—तदैव—	
7.	इलेक्ट्रीशियन	10500/-	1. 10वीं कक्षा (हाईस्कूल) उत्तीर्ण के साथ इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में आईटीआई से एनसीवीटी का प्रमाण-पत्र.  2. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल के लाइसेंसिंग बोर्ड से वायर मैन का वैध लायसेंस.	2 वर्ष का कार्य अनुभव		
8.	कुशल सहायक	10500/-	संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में आईटीआई से एनसीवीटी का प्रमाण-पत्र.	संबंधित व्यवसाय में एक वर्ष का कार्य अनुभव	—तदैव—	

**अनुसूची-दो**  
(नियम 7(1) देखिए)  
**स्वीकृत पदों के ब्यौरे**

अनु क्रमांक	संस्था का नाम	पदनाम									अभ्युक्ति
		तकनीकी सहायक/कर्मशाला अनुदेशक	कम्प्यूटर आपरेटर	मेन्टेनेस टेक्नीशियन	प्रयोगशाला तकनीशियन	इंस्ट्रुमेन्ट रिपेयरर	इलेक्ट्रीशियन	कुशल सहायक	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	शिवपुरी	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
2	रीवा	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
3	डिण्डौरी	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
4	सीधी	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
5	श्योपुर	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
6	दतिया	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
7	उमरिया	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
8	मंदसौर	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
9	शाजापुर	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
10	देवास	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
11	रायसेन	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
12	कटनी	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
13	अनूपपुर	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
14	अलीराजपुर	6	2	1	2	1	1	2	15	प्रथम वर्ष में स्वीकृत पद	
15	जतारा	12	4	1	4	1	1	3	26	कुल स्वीकृत पद	
16	पवई	12	4	1	4	1	1	3	26	कुल स्वीकृत पद	
17	सैंधवा	12	4	1	4	1	1	3	26	कुल स्वीकृत पद	
18	नसरूल्लागंज	12	4	1	4	1	1	3	26	कुल स्वीकृत पद	
19	इटारसी	12	4	1	4	1	1	3	26	कुल स्वीकृत पद	
20	राजगढ़	12	4	1	4	1	1	3	26	कुल स्वीकृत पद	
21	सिरोंज	12	4	1	4	1	1	3	26	कुल स्वीकृत पद	
योग		168	56	21	56	21	21	49	392	—	

**अनुसूची-तीन**

निःशक्तजन हेतु नए पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के अल्पिकीय पदों का चिन्हांकन

(कुल स्वीकृत पद-392)

अनुक्रमांक	पॉलीटेक्निक महाविद्यालय का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	अस्थि/ दृष्टि/ श्रवण बाधित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शिवपुरी	कर्मशाला निर्देशक	1	अस्थि बाधित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	रीवा	कुशल सहायक	1	श्रवण बाधित
3	डिण्डौरी	कर्मशाला निर्देशक	1	दृष्टि बाधित
4	सीधी	कुशल सहायक	1	अस्थि बाधित
5	श्योपुर	कुशल सहायक	1	दृष्टि बाधित
6	दतिया	इलेक्ट्रीशियन	1	अस्थि बाधित
7	उमरिया	कर्मशाला निर्देशक	1	दृष्टि बाधित
8	मंदसौर	इंस्ट्रुमेन्ट रिपेयर	1	श्रवण बाधित
9	शाजापुर	कर्मशाला निर्देशक	1	दृष्टि बाधित
10	रायसेन	कर्मशाला निर्देशक	1	श्रवण बाधित
11	अनूपपुर	इंस्ट्रुमेन्ट रिपेयर	1	दृष्टि बाधित
12	अलीराजपुर	मैन्टेनेंस टेक्निसियन	1	श्रवण बाधित
13	जतारा	कर्मशाला निर्देशक	1	अस्थि बाधित
14	जतारा	कम्प्यूटर आपरेटर	1	श्रवण बाधित
15	पवई	कर्मशाला निर्देशक	1	श्रवण बाधित
16	पवई	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	दृष्टि बाधित
17	सेंधवा	कर्मशाला निर्देशक	1	दृष्टि बाधित
18	सेंधवा	कम्प्यूटर आपरेटर	1	अस्थि बाधित
19	नसरुल्लागंज	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	अस्थि बाधित
20	इटारसी	कर्मशाला निर्देशक	1	अस्थि बाधित
21	इटारसी	कम्प्यूटर आपरेटर	1	श्रवण बाधित
22	राजगढ़	कर्मशाला निर्देशक	1	श्रवण बाधित
23	राजगढ़	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	दृष्टि बाधित
24	सिरोंज	कम्प्यूटर आपरेटर	1	अस्थि बाधित

No. F-1-4-2014-XLII-(1).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the State Government hereby, makes the following rules relating to recruitment and condition of service of class III employees of the Non-Ministerial cadre on contract basis under the Technical Education and Skill Development namely:-

## RULES

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Recruitment on Contract basis of the Class III employees of the Non- Ministerial Cadre in the New Government Polytechnic Colleges under the Department of Technical Education and Skill Development Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in “Madhya Pradesh Gazette”.

**2. Definitions .**—In these rules, unless the context otherwise requires—

- (a) “Appointing Authority” means Principal/Institution Head of the concerning College;
- (b) “Contract Amount” means the amount as specified in column (3) of Schedule – 1;
- (c) “Contract Appointment” means a person appointed on the contract basis under these rules;
- (d) “Department” means Department of Technical Education and Skill Development, Government of Madhya Pradesh;
- (e) “Examination” means the examination conducted for the recruitment under these rule;
- (f) “Government” means the Government of Madhya Pradesh;
- (g) “Managing Committee” means managing committee of any Polytechnic College registered under the Madhya Pradesh Society Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973);
- (h) “New Government Polytechnic Colleges” means Government Polytechnic Colleges established with the Central assistance;
- (i) “Other Backward Classes” means the other backward classes of the Citizens as specified by notification no. F-85/XXV/4/84 dated 26th December, 1984 as amended by the State Government from time to time;
- (j) “Selection Committee” means the selection committee constituted by the Government/ Department for posts as specified in column (6) of schedule – I;
- (k) “Schedule” means various Schedules appended to these rules;
- (l) “Scheduled Caste” means any caste, race or tribe or part of, or group within caste, race or tribe specified as scheduled caste with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (m) “Scheduled Tribes” means any tribes or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community specified as scheduled tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India.

**3. Scope and Application.**— These rules shall apply to the Class III Non-Ministerial employees appointed in the New Polytechnic Colleges established under the Department of Technical Education and Skill Development, Government of Madhya Pradesh.

**4. Classification and contract Remuneration.**— The classification of posts and amount of contract remuneration shall be such as may be specified in schedule - I



**5. Conditions of Eligibility for contract Recruitment:**—In order to be eligible a candidate must fulfill the following conditions, namely:—

- (1) **Age.**- The calculation of the minimum and the maximum age limit fixed for the appointment, which shall be 18 and 35 years respectively, shall be made from 1st day of January of that calendar year in which the advertisement for the recruitment on the vacant post shall be published,—
  - (i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years in accordance with the directions issued by the General Administration Department to the candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes;
  - (ii) In the case of women candidate the upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Special provisions for the appointment of women) Rules, 1997. There shall be an additional relaxation of 5 years for the widow/ destitute/ divorced women candidates;
  - (iii) The general upper age limit shall be relaxable up to the limit of 2 years to the candidates holding green card under the Family Welfare Programme;
  - (iv) The general upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years in the case of superior caste partner of the awarded couple under the Inter Caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes Welfare Department;
  - (v) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of “Vikram Award” holder candidates;
  - (vi) There shall be special relaxation of 10 years in accordance with the order of General Administration Department, to the disabled candidates capable to serve on Class III post.
- (2) **Qualification.**- The educational and other qualification for contract appointment on the posts of Non-Ministerial cadre shall be in accordance with column (4) and (5) of schedule - I.
- (3) Live registration of a candidate in any of the Employment Exchange of Madhya Pradesh shall be compulsory on the date of selection.
- (4) It shall be compulsory for an applicant to submit along with his/ her application certificate of domicile of Madhya Pradesh given/ issued by any Competent Officer.
- (5) In the case of candidate of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, it shall compulsory to enclose the Caste Certificate issued by any Competent Officer.
- (6) Candidate shall enclose with his/ her application the Character Certificate given by any Gazetted Officer.
- (7) The character verification (Police Verification ) of a candidate to be appointed in contract service shall be carried out through the District Police.
- (8) The contract employee shall be furnishing the Medical Fitness Certificate issued by the Civil Surgeon or District Medical Board, duly constituted by the State Government for that purpose.

**6. Selection and Procedure of Appointment.**—The appointment to the vacant posts of New Government Polytechnic Colleges shall be made after the commencement of these rules:—

- (1) **Post.**— The number of vacant posts of Non-Ministerial cadre of Class III in the New Government Polytechnic Colleges under the Department of Technical Education and Skill Development, shall be determined by the Director, Technical Education which shall never exceed the number of posts specified under schedule II;
- (2) **Selection and Appointment.**— All the appointments on the posts specified in schedule- I shall be made by the appointing authority after the approval of Managing Committee of the concerned institution on the basis of recommendations of the Selection Committee specified in the schedule.

- (3) **Reservation.**—(a) Posts shall be reserved in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 and instructions issued by the General Administration Department of the State Government from time to time in this regard;
- (b) Special Provisions for Primitive Tribes - The applicants belonging to the SAHARIYA Tribe of District Sheopur, Morena, Datia, Gwalior, Bhind, Shivpuri, Guna and Ashoknagar, BAIGA Tribe of Districts Balaghat, Mandla, Dindori, Shahdol and Umariya, SAHARIYA Tribe of Tamiya Development Block of District Chhindwara, possessing specified/ prescribed minimum educational qualifications and other eligibility shall be employed on the contract technical cadre post by the New Government Polytechnic College without following the selection procedure mentioned in these rules. The candidates shall be able to obtain the benefit of this provision in any Government Polytechnic of the State established with the Central assistance. In such a situation when number of applications received be more than the total posts available, a selection shall be made on the basis of marks obtained in the examination of the minimum educational qualification in descending order;
- (c) The posts shall be kept reserved (horizontal) for the women candidates in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (Special Provisions for the Appointment of women) Rule 1997 and orders issued in this regard by the State Government from time to time ;
- (d) For each category of vacant posts, the horizontal reservations shall be as follows :—
- (i) 30% for women ;
- (ii) Subject to the proviso of Section 33 of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 ( No. 1 of 1996), 6% for the disabled persons (2% for the visually impaired, 2% for the hearing impaired, 2% for the orthopedically disabled) (as per schedule - III)
- (4) **Selection Process.**—for filling up the posts in the contract service, the written, skill test and interview may be conducted as per para - 2 sub-para(a) of Appendix - I or only interview may be conducted as per para 2 sub-para(b) or as decided.
- (5) **Select List.**—The selection committee shall prepare a merit list and waiting list on the basis of written examination/interview. The validity of the said list shall be up to one year after the examination and validity of the waiting list shall be up to one and half years or until the next examination is conducted, whichever is earlier.
- The appointment from the select list shall be made in accordance with the roster prescribed by the Government and maintained, as the case may be, by the concerning institution under Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam,1994.
- (6) **Period of Contract Employment.**—Every candidate selected for the post of Non-Ministerial cadre shall be employed on contract for a maximum period of three years in any institution. But the direction of the government, the employment of a selected candidate may be made as per requirement for a period less than three years and his contract period may be extended up to three years. He shall be required to enter in to a contract in the form prescribed in the Appendix II appended to these rules. A record of the assessment of work, conduct and performance of every contract appointee shall be maintained by the employing authority in the prescribed format.
- (7) **Extension in Contract Period.**—(i) After the completion of every three years service the appointing authority may, on the basis of the recommendations of the committee specified in schedule -I, extend the contract period for further three more years on the grounds of last executed work, conduct, performance etc. On completion of every three years period of contract, extension of contract period for a further period, the person appointed on contract shall be entitled to 15% increase in his contract remuneration as compared to his/her previous contract remuneration;

- (ii) On the completion of more than three years of the contract service the recruitment process shall be repeated again;
- (iii) After the expiry of every contract period, a new contract shall have to be executed;
- (iv) The extension in the contract period may be made up to 65 years of age, under sub-rule (1) and (2).

**7. Other Conditions.**—(1) After the selection the applicant shall have an agreement with the employer in the prescribed form on the Non-judicial Stamp of Rs. 100/- ;

- (2) It shall be compulsory for the selected person to take his charge at the place of his/her contract appointment, by entering in to contract in the prescribed form, within 15 days from the issue of appointment order. In the case of not taking charge within the said period and/or not entering in to contract, the contract appointment shall itself be deemed cancelled.
- (3) If any member of the service appointed on contract remains absent for more than one month from his/her duty without any special reason and information, then his contract appointment shall itself deemed to be ceased from the date of such absence;
- (4) Before the expiry of the contract term, contract of service under these rules may be terminated by either side by giving one months notice or by paying one months contract remuneration in lieu thereof ;
- (5) The other service conditions will be as laid down in Contract Document.
- (6) No contract employee shall be transferred to other place than the place of his actual place of posting and they must keep their headquarter at the place of the institution of their appointment. These employees shall reside their institutions headquarter and shall not leave the headquarter without the previous permission of the competent officer.

**8. Disqualification.**— No person shall be employed as Non-Ministerial contract employee :—

- (i) If he/she has been dismissed previously from service of Central Government, State Government, Local Body, Co-operative Society or any Public Sector Undertaking under the control of Central Government or State Government;
- (ii) If he has been convicted of an offence involving moral turpitude;
- (iii) If he has been convicted of an offence against women :  
Provided that where such case is pending in a court, the appointment shall be kept pending till the final decision of the court;
- (iv) If the candidate has more than one wife living, and in case of a female candidate, if she has married a person having a wife living already;
- (v) If the candidate does not possess minimum prescribed qualification for the advertised Non-Ministerial cadre;
- (vi) If the candidate is an employee of the Central Government/ State Government or of any local authority or of Central Government/ State Government Organisation or of any Government aided Organisation, and if he/she does not submit a No Objection Certificate from present employer ;
- (vii) Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any other means may be held disqualification by the appointing authority for appearing in the examination/selection ;
- (viii) Any candidate who has more than two living children, one of whom is born on or after the 26th January, 2001 shall be considered ineligible for appointment on any post or service.

Provided that any candidate who is already having one child and two or more than two children are born in the next delivery which took place on or after 26th January, 2001 will not disqualify for any post or service.

**9. Appointment of Retired Government Servant.**—Contract appointment to the retired Government Servant may be given directly up to the age of 65 years, after the permission approval of Director, Technical Education, under the following conditions :—

- (i) the employee shall have to submit Medical Fitness Certificate issued by the District Medical Board ;
- (ii) the contract amount/ remuneration including pension etc. to be given to the employee shall not be in excess to the total emoluments at the time of retirement;
- (iii) after the evaluation made on the basis of Confidential Reports of pre- retirement period of the employee, the recommendation of Head of the Institution at the time of retirement, shall be necessary.

**10. Competent Agency/ Departments' decision About the Eligibility of the Candidate shall be Final.**—The decision of the competent agency/ department as to the eligibility or ineligibility of a candidate for examination /interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission (Admit Card) has not been issued by the competent agency shall be allowed to appear in the examination.

**11. Savings.**—Nothing in these rules shall affect the conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

**12. Interpretation.**—If any question arises as to the interpretation of these rules the same shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

### Appendix - I

#### Selection process for the recruitment on the contract basis the Class III employees of the Non-Ministerial cadre in the New Government Polytechnic Colleges under the Department of Technical Education and Skill Development.

**1. Procedure for Advertisement.**—(i) for the vacant posts of Class III Non-Ministerial cadre, a advertisement shall be made for all institutions by the Directorate, Technical Education, Madhya Pradesh, in which, the last date for submitting the application form shall be clearly mentioned ;

- (ii) the candidate has to submit separate application for more than one post and for different institutions ;
- (iii) the advertisement for recruitment shall be displayed on the Notice Board of the Office as far as possible on the departmental web site as well ;
- (iv) a copy of advertisement shall also be sent to the local Employment Exchange.

**2. Selection Criterion.**—(A) **Written Examination.**—The written/ skill test for selection for contract appointment on Class III Non-Ministerial cadre, shall be conducted through Department or an agency such as Vyapam, authorised by it. For a specific post, written examination along with skill test of the concerning trade may be taken as per the decision. Successful Candidates in written/skill test shall be called for interview in the ratio of maximum ten times of the number of advertised posts. All the appointments shall be made by the Principal of the institution in accordance with the recommendation of the selection committee, on the basis of the result of written / skill test and interview and the following selection criterion.—

- |   |                    |
|---|--------------------|
| (i) In the ratio of marks obtained in the written / skill test  | — Maximum 75 Marks |
| (ii) For working experience ( 1 mark for every year additional to the experience mentioned in schedule - I ). | — Maximum 5 Marks  |
| (iii) Representation in State/National Level Sports / National Team   | — Maximum 5 Marks  |
| (iv) NCC "C" Certificate  | — Maximum 5 Marks  |
| (v) Interview   | — Maximum 10 Marks |

—100 Marks

(B) **In case of only Interview.**— Maximum five times candidates in ratio to the number of posts advertised to be called for interview. All the appointments shall be made by the Principal in accordance with the recommendation of selection committee and on the basis of the result of written / skill test and interview and the following selection criterion:—

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| (I) In ratio of marks obtained in the qualifying exam necessary for the post                                | — | Maximum 70 Marks |
| (II) For working experience (1 mark for every year additional to the experience mentioned in schedule - I ) | — | Maximum 5 Marks  |
| (III) Representation in State/National Level Sports / National Team   | — | Maximum 5 Marks  |
| (IV) NCC "C" Certificate  | — | Maximum 5 Marks  |
| (V) Interview   | — | Maximum 15 Marks |

**Total — 100 Marks**

**3. Procedure for Written Examination.**—(1) In order to conduct recruitment examination for contract appointment the authorised agency shall advertised the procedure of applying for the prescribed examination and details of examination in the News Paper.

(2) In order to qualify in each part of the question paper of contract appointment recruitment test the class wise/ category wise percentage marks shall be as follows :—

Sl. No.	Name of the Post	For Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes	Other
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Posts of Non-Ministerial cadre specified in schedule-I	30%	40%

(3) In the written examination there shall be one question paper of 100 marks. There shall be an additional skill test (wherever applicable) of 50 marks. The distribution of marks of written examination shall be as follows :—

Sl. No.	Name of the Post	Subject	Maximum Marks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Posts of Non-Ministerial cadre as per schedule-I	1.General Knowledge 2. Science (Physics/ Chemistry) 3. Maths. 4. Hindi and English efficiency 5. Working Knowledge of Computer.	20 20 20 20 20

**4. Preparation of Select List.**—After the declaration of the result of eligibility test/ interview, a selection and waiting list shall be prepared by the selection committee keeping the candidates in the order of merit, in which such number of candidates shall be included, as is required / directed by the department.

**Appendix - II**  
**Draft of Contract**

First Party (Employer) — Principal, Government Polytechnic College  
 ....., Madhya Pradesh, who shall be  
 selector for appointment on the sanctioned  
 post of.....( Who for convenience  
 shall be addressed as First Party in this Deed  
 of Contract)

Second Party (Selected Candidate) — Shri..... S/o,D/o.....  
 Aged - Major, R/o .....  
 (Who for convenience shall be addressed as  
 Second Party in this Deed of Contract)

The other particulars are as follows :—

1. That, the selection of the Second Party is being made on fixed pay on the post of..... sanctioned in the New Government Polytechnic College established under the Department of Technical Education and Skill Development, which shall be valid for the period of only 03 years from the date of appointment Date..... The service shall itself deemed to be ceased after the expiry of 03 years from the date of appointment. On the completion of the fixed service period, the Second Party shall not have the claim of regularization. In such a situation no case, dispute or claim related with service, by the Second Party, shall be entertained and shall not be questioned in the court of Law.
2. That, employee appointed under these contract rules shall not be deemed to be a Government Servant. These employees shall not be entitled for any regularisation in the Government service and shall not be entitled for regular Pay Scale.
3. No dearness allowance, house rent allowance or any other allowances shall be payable to the employee employed under these rules.
4. That, employee appointed under these contract rules shall be entitled for 13 days casual leave 03 days optional leave only in one calendar year. They shall not be entitled for any other leave.
5. That, the travelling allowance shall be paid as per the Government Rules to the selected Second Party for the Government work. Besides the said allowance, no other benefit of any kind, similar to that of the employees of the Government of Madhya Pradesh, shall be permissible, nor any other allowances shall be payable, consent of which is hereby given by the Second Party through his signature on this contract.
6. That, in case of grievous complaint against the selected Second Party or if the candidate is found indulged in unwanted/ political activities or grave irregularity at work, the First Party shall have the right to cease his service at any time. Hence, in case any of the aforesaid allegations are proved, the First Party shall have the right to cease the service of the Second Party at any time without any notice regarding which the Second Party shall have no objection.
7. That, if during the contract service the Second Party causes grievous hurt to any body or if himself suffers any injury or suffers any physical disability or commits suicide than in such a situation no claim of any kind by the Second Party or from his/her family member on his/her behalf, shall be acceptable. In any other condition contrary to the service conditions, no appointment to the service / appointment on compassionate grounds etc. shall be provided to any family member of the candidate for which the Second Party shall have no objection.
8. That, if the Second Party wants to leave his service before the expiry of said 03 years in such a situation the Second Party shall have to give prior notice of one month to the appointing authority otherwise he shall have to obtain receipt by depositing lump sum salary of one month and has to obtain No-dues Certificate from the institution.
9. That, the services of the Second Party may be ceased at any time if not found satisfactory or for other reasons without notice, on which the Second Party shall have no objection.
10. That, if any fact remains left in the contract letter of appointment or added afterwards by the First Party due to any amended or modified rules of Government of Madhya Pradesh then in such a situation a supplementary contract shall be executed which shall be acceptable to the Second Party and the Second Party promises to sign the same.

I have carefully gone through the service conditions of above mentioned contract. Hence in witness whereof I have executed this contract on this..... day of ..... without any fear or pressure in the presence of two witnesses so that it can be referred to as and when required .

Signature (First Party).....  
(Employer)

Signature (Second Party).....  
(Selected Candidate)

**Signature witnesses :—**

1. Signature .....
- Name.....
- Address.....
  
2. Signature .....
- Name.....
- Address.....

**SCHEDULE-I**  
(See rule 5 and 7)

**Classification and Remuneration of the Posts included in the Service**

Sl. No.	Posts included in the Contract Service	Monthly contract Remuneration (amount in Rs.)	Minimum Educational Qualification	Experience	Selection Committee	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Technical Assistant	12500/-	Diploma in appropriate branch of engineering from any recognised Board or equivalent diploma or NCVT Certificate in suitable trade from ITI.	5 years experience	(i) Director, Technical Education— Chairman (ii)Principal of the Government. Polytechnic College—Member	Principal of the concerning Institution.
2.	Workshop Instructor	12500/-	10th (High School) pass alongwith NCVT Certificate in concerning trade from the ITI.	3 years' experience in the concerning trade.	(iii) Representative of the reserve category, who shall not be below the rank of first class Gazetted Officer (Lecturer)—Member	—do—
3.	Computer Operator	12000/-	1. Higher Secondary School Certificate Examination passed (in 10+2 pattern), and 2.He/She has passed any of the following examination.— (i) Diploma in Computer Application/Science from the UGC/ AICTE recognised University. (ii) Diploma in Computer Application/Science from the UGC/ AICTE recognised Open University. (iii) Equivalent Diploma from DOEACC. (iv) Diploma in Modern Office Management from the Polytechnic College recognised by AICTE.	—	(iv) Subject expert of the concerning faculty who shall not be below the rank of Head of the Department/Lecturer (Selection Grade)—Member	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Maintenance Technician	11500/-	NCVT Certificate from the ITI in the trade of Mechanic/Fitter.		Five years experience of working in a Industrial Institution in which following works are mainly executed— (A) Maintenance of machine tools/machinery and equipments. (B) He/She shall have knowledge of maintenance of modern equipments used in special/modern equipments i. e. Hydraulic Control, Pneumatic Control etc. and safety regulations.	(i) Director, Technical Education— Chairman (ii)Principal of the Government Polytechnic College— Member (iii) Representative of the reserved category, who shall not be below the rank of first class Gazetted Officer (Lecturer)—Member (iv) Subject expert of the concerning faculty who shall not be below the rank of Head of the Department/Lecturer (Selection Grade)— Member.	Principal of the concerning Institution.  —do—  —do—
5. Lab.- Technician	11500/-	Graduation in first class with the Science subject from the University recognised by UGC.		—		
6. Instrument Repairer	11500/-	10th (High School) pass along with NCVT Certificate in the Instrument Mechanic trade from the ITI.		Minimum working experience of 3 years in this trade.		
7. Electrician	10500/-	1. 10th (High School) pass along with NCVT Certificate in Electrician trade from the ITI. 2. Valid license of Wireman from the Licensing Board of Madhya Pradesh Electricity Board.		Working Experience of 2 years.		
8. Skilled Assistant	10500/-	NCVT Certificate in concerning trade from the ITI.		One years working experience in the concerning trade.		

**SCHEDULE-II**  
[See rule-7(1)]

Detail of Posts Sanctioned

Sl. No.	Name of the Institution	Designation							Total	Remarks
		Technical Assistant/ Workshop Director	Computer Operator	Maintenance Technician	Lab Technician	Instrument Repairer	Electrician	Skilled Assistant		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Shivpuri	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year
2	Rewa	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year
3	Dindouri	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year
4	Sidhi	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year
5	Shyopur	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year
6	Datia	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year
7	Umariya	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year
8	Mandsaur	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year
9	Shajapur	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year
10	Dewas	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year
11	Raisen	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Katni	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year
13	Anuppur	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year
14	Alirazpur	06	02	01	02	01	01	02	15	Post sanctioned in the first year
15	Jatara	12	04	01	04	01	01	03	26	Total sanctioned posts
16	Pawai	12	04	01	04	01	01	03	26	Total sanctioned posts
17	Sendhwa	12	04	01	04	01	01	03	26	Total sanctioned posts
18	Nasrullaganj	12	04	01	04	01	01	03	26	Total sanctioned posts
19	Itarasi	12	04	01	04	01	01	03	26	Total sanctioned posts
20	Rajgarh	12	04	01	04	01	01	03	26	Total sanctioned posts
21	Sironj	12	04	01	04	01	01	03	26	Total sanctioned posts
Total . .		168	56	21	56	21	21	49	392	---

SCHEDULE-III

Identification of Non-Ministerial Post of New Polytechnic Colleges for Disabled

(Total Sanctioned Posts-392)

Sl. No.	Name of the Polytechnic College	Name of the post	Number of post	Ortho/Visually/ Hearing impaired
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Shivpuri	Workshop Instructor	1	Orthopedically Impaired
2	Rewa	Skilled Assistant	1	Hearing Impaired
3	Dindouri	Workshop Instructor	1	Visually Impaired
4	Sidhi	Skilled Assistant	1	Orthopedically Impaired
5	Sheopur	Skilled Assistant	1	Visually Impaired
6	Datia	Electrician	1	Orthopedically Impaired
7	Umariya	Workshop Instructor	1	Visually Impaired
8	Mandsaur	Instrument Repairer	1	Hearing Impaired
9	Shajapur	Workshop Instructor	1	Visually Impaired
10	Raisen	Workshop Instructor	1	Hearing Impaired
11	Anuppur	Instrument Repairer	1	Visually Impaired
12	Alirazpur	Maintenance Technician	1	Hearing Impaired
13	Jatara	Workshop Instructor	1	Orthopedically Impaired
14	Jatara	Computer Operator	1	Hearing Impaired
15	Pawai	Workshop Instructor	1	Hearing Impaired
16	Pawai	Lab Technician	1	Visually Impaired
17	Sendhwa	Workshop Instructor	1	Visually Impaired
18	Sendhwa	Computer Operator	1	Orthopedically Impaired
19	Nasrullaganj	Lab Technician	1	Orthopedically Impaired
20	Itarsi	Workshop Instructor	1	Orthopedically Impaired
21	Itarsi	Computer Operator	1	Hearing Impaired
22	Rajgarh	Workshop Instructor	1	Hearing Impaired
23	Rajgarh	Lab Technician	1	Visually Impaired
24	Sironj	Computer Operator	1	Orthopedically Impaired
Total . .			24	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शमीम उद्दीन, अपर सचिव.